



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2019/श्रावण 15, 1941

No. 286]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2019/SHRAVANA 15, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान)

(भारतीय कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

सं. 710/1 (एम)/1.—भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की परिषद् कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 के कतिपय विनियमों के निम्नलिखित प्रारूप में और आगे संशोधन का प्रस्ताव करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी लोगों की जानकारी हेतु, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा ये संशोधन प्रकाशित करती है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना की औपचारिक राजपत्र की प्रतिलिपियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति उक्त प्रारूप विनियमावली के बारे में आपत्तियां या सुझाव देना चाहता है, वह उन्हें संस्थान की परिषद् के विचारार्थ उपर्युक्त निर्धारित अवधि में सचिव, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान, आईसीएसआई हाउस, 22 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमावली के बारे में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कोई भी आपत्ति या सुझाव उक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने पर उस पर परिषद् विचार करेगी।

प्रारूप विनियमावली

1. (1) इन विनियमों का नाम कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2019 होगा।
- (2) ये विनियम भारत के आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से लागू जो जाएंगे।
2. कम्पनी सचिव विनियम, 1982 में (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियमावली में संदर्भित किया जाएगा) —
- (i) विनियमन 2 में, खंड (i) के बाद, निम्नलिखित नए खंड (i) को अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: —

“(ia) एक पंजीकृत छात्र या संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए पंजीकृत एक उम्मीदवार के संबंध में “कदाचार” का अर्थ, संस्थान के संबंध में या परीक्षा परिसर या केंद्र के निकट अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार को शामिल करना, उल्लंघन करना, अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचना, शर्त, दिशानिर्देश, दिशा, सलाहकार, संस्थान के परिपत्र, डाक या मौखिक ट्यूशन के संबंध में कुरूपताओं को अपनाने या सहारा लेने या लिखित रूप से अनुचित साधनों का सहारा

लेने का प्रयास करने का कोई भी प्रावधान, संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा, संस्थान के रिकॉर्ड या डेटाबेस से छेड़छाड़, सार्वजनिक मंचों, सामाजिक नेटवर्किंग या किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर संस्थान के बारे में जानकारी लिखना या साझा करना जो कि उसकी राय या किसी अन्य अधिनियम में बदनाम, नुकसान, क्षति, बाधा डाल सकता है अथवा परीक्षा या प्रशिक्षण या संस्थान की किसी भी छात्र नीति की गोपनीयता, शिष्टाचार और पवित्रता को चुनौती देता हो ;

और, परिषद् द्वारा निर्धारित किसी भी नाम से व्यावहारिक प्रशिक्षण या किसी अन्य प्रशिक्षण से गुजरने वाले उम्मीदवार के संबंध में, संस्थान के संबंध में या उस स्थान के निकट या जहां प्रशिक्षण चल रहा है, किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार, अधिनियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, स्थिति, दिशानिर्देश, दिशा, सलाहकार, संस्थान का परिपत्र, संस्थान के रिकॉर्ड या डेटाबेस से छेड़छाड़, सार्वजनिक मंचों, सामाजिक नेटवर्किंग या किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर संस्थान के बारे में जानकारी लिखना या साझा करना जो अपनी राय में मानहानि हो, प्रशिक्षण के संबंध में कदाचार या प्रशिक्षण का सहारा लेने के लिए या अनुचित साधनों का सहारा लेने का प्रयास करना या प्रशिक्षण से गुजरने के लिए छूट प्राप्त करना या जिसमें वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है उस संगठन के लिए किसी भी नीतियों, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए छूट प्राप्त करना।”

(ii) विनियमन 3 के लिए, निम्नलिखित विनियमन 3 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“3. सदस्यों का रजिस्टर —

(1) संस्थान अनुसूची ‘ए’ में मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या परिषद् द्वारा निर्धारित किसी अन्य विधा में निर्दिष्ट प्रोफार्मा में सदस्यों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा।

(2) सदस्यों के रजिस्टर में नाम, सदस्यता संख्या, पेशेवर पता, आवासीय पता, जन्मतिथि, सदस्य बनने की तारीख, मान्य ईमेल आईडी, टेलीफोन या मोबाइल नंबर और अन्य विवरण शामिल होंगे, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) सदस्य रजिस्टर में दर्ज अपने विवरण में किसी भी परिवर्तन के लिए इस तरह के बदलाव के तीस दिनों के भीतर संवाद करेंगे।”

(iii) विनियमन 4 में, —

(ए) उप-विनियमन (1), खंड (ए), (बी) और (सी) को हटा दिया जाएगा।

(बी) उप-विनियमन (1) में, खंड (डी) के लिए, निम्नलिखित खंड (डी) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“(डी) भंग कंपनी द्वारा आयोजित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा किया है या तो पहले के विनियमों में या इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार; या”

(सी) उप-विनियमन (1) में, “इन नियमों में निर्धारित” शब्द “प्रशिक्षण के रूप में “शब्दों के बाद खंड (ई); या” अन्तर्स्थापित किया जाएगा।

(डी) उप-विनियमन (1) खण्ड (एफ) लिए निम्नलिखित खण्ड (एफ) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(एफ) ने ऐसी अन्य परीक्षा पास की है और भारत के बाहर इस तरह के अन्य प्रशिक्षण पूरे किए हैं जैसा कि केन्द्र सरकार या परिषद् द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परीक्षा और प्रशिक्षण के बराबर माना जाता है। या

(ई) उप-विनियमन (1) में, खंड (एच), शब्द, “विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 के खंड(डब्ल्यू)”, शब्दों को “विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 का खंड(पी)” के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एफ) उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन (2) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(2) सहयुक्त सदस्य:

(i) कोई भी व्यक्ति तब तक रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह, —

(ए) अधिनियम के शुरू होने से तुरंत पहले भंग कंपनी के मानद अधिसदस्य सहित एक सहयुक्त था; या

(बी) पहले के नियमों के तहत एक सहयुक्त के रूप में शामिल किया गया था; या

(सी) एक सहयुक्त है और कम से कम पांच वर्षों के लिए कंपनी सचिव के रूप में भारत में निरंतर व्यवसाय कर रहा है; या

(डी) पांच साल से अधिक की निरंतर अवधि और इस तरह की योग्यता या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने वाले एक सहयुक्त के लिए परिषद् द्वारा अवधारित किया जा सकता है;

(ii) किसी सहयुक्त सदस्य को संस्थान के अधिसदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा, यदि—

(ए) उसे किसी भी समय किसी भी व्यवसायिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया हो और उसका नाम रजिस्टर से निकाल दिया गया है या उसे आवेदन की तारीख से पहले पांच वर्षों के दौरान धारा 21 ए की उपधारा (3) या धारा 21बी की उपधारा (3) के तहत जुर्माना लगाया गया हो;

(बी) उन्होंने व्यावसायिक विकास क्रेडिट घंटे की ऐसी न्यूनतम संख्या पूरी नहीं की है जो परिषद द्वारा अवधारित की जा सकती है;

बशर्ते कि उप-विनियमों (1) या (2) में उल्लिखित किसी भी वर्ग से संबंधित किसी भी व्यक्ति के मामले में, जो स्थायी रूप से भारत में नहीं रहता है, परिषद, संकल्प द्वारा, आवश्यक या समीचीन हो सकती है को, इस तरह की आगे की योग्यता और शर्तों को लागू कर सकती है:

(iv) विनियमन 5 में, उप-विनियमन (1) में, शब्द, "प्रत्येक व्यक्ति जो इच्छा करता है" को शब्दों "कोई भी व्यक्ति जो विचार करता हो" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(अ) विनियमन 6 में, -

(ए) उप-विनियमन (1) में, शब्दों, "हर व्यक्ति" को शब्दों "कोई भी व्यक्ति" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(बी) उप-विनियमन (2) में, शब्द, "अधिसूचना द्वारा" को "जैसा अवधारित किया जा सकता है" शब्दों के बाद अन्तर्स्थापित किया जाएगा।

(सी) उप-विनियमन (4) में, शब्दों, निवास-प्रमाण पत्र और उचित प्रपत्र में आपने सदस्य को जानें (केवाईएम) घोषणा के साथ को शब्दों, "वार्षिक सदस्यता शुल्क" के बाद अन्तर्स्थापित किया जाएगा।

(डी) उप-विनियमन (4) के लिए तीसरा प्रोविज़ो हटा दिया जाएगा।

(ई) उप-विनियमन (4) के चौथे प्रोविज़ो में, "सत्तर वर्ष या उससे अधिक की आयु और किसी भी लाभकारी रोजगार में या व्यवहार में नहीं है" के शब्दों को "सत्तर वर्ष या उससे अधिक की आयु" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) विनियमन 7 में, शब्द, "संस्थान द्वारा अवधारित किए गए प्रशासनिक शुल्क में कटौती के बाद" को "उसके द्वारा भुगतान की गई फीस" शब्दों के बाद अन्तर्स्थापित किया जाएगा,

(vii) विनियमन 8 के लिए, निम्नलिखित विनियम 8 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"8. बकाया राशि का भुगतान न करना-

(1) वार्षिक शुल्क: कोई भी व्यक्ति जिसने उस वर्ष के तीस जून तक या उससे पहले अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उसे उस वर्ष के इकतीस अगस्त तक या उससे पहले परिषद द्वारा अवधारित अतिरिक्त शुल्क के साथ भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी :

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने उस वर्ष के इकतीस अगस्त तक या उससे पहले अतिरिक्त शुल्क के साथ अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उसका नाम उस वर्ष के सितंबर के पहले दिन से बिना किसी सूचना के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

(2) अन्य बकाया राशि: कोई भी व्यक्ति जिसने इस बकाया राशि की सूचना की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर संस्थान को देय जुर्माना, अर्थदंड या किसी अन्य देय राशि का भुगतान नहीं किया है, उसका नाम नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा।"

(viii) विनियमन 9 के लिए, निम्नलिखित विनियम 9 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"9. सदस्यता का प्रमाण पत्र-

(1) परिषद द्वारा सदस्यता के लिए आवेदन स्वीकार करने पर, नाम, सदस्यता संख्या, व्यक्ति पता, आवासीय पता, जन्मतिथि, सदस्य बनने की तिथि, मान्य ईमेल आईडी, टेलीफोन, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण जो परिषद द्वारा अवधारित किए जा सकते हैं को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उचित प्रपत्र में सदस्यता का प्रमाण पत्र परिषद द्वारा उसे जारी किया जाएगा।

(2) एक सदस्य जिसका नाम अधिनियम या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के तहत रजिस्टर से निकाल दिया गया है, उसके बाद सचिव को उसके द्वारा प्राप्त सदस्यता प्रमाणपत्र को वापस करना होगा और किसी भी तरीके से उस प्रमाण पत्र या सदस्यता संख्या का उपयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा या उसका उपयोग या प्रदर्शन जारी नहीं रखेगा।"

(ix) विनियमन 10 के लिए, निम्नलिखित विनियम 10 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"10. व्यवसाय का प्रमाण पत्र-

(1) एक सदस्य, जो परिषद द्वारा अवधारित किए जा सकने वाले इस तरह के तरीके और विधि में ओरिएंटेशन प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उसे भारत में किसी भी स्थान पर कंपनी के सचिव के रूप में व्यवसाय करने का अधिकार का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र में संस्थान में आवेदन कर सकता है।

- (2) उप-विनियमन (1) के तहत प्राप्त संस्थान द्वारा आवेदन की स्वीकृति पर, प्रमाण पत्र उचित रूप में जारी किया जाएगा जो रद्द होने तक मान्य होगा।
- (3) संस्थान द्वारा आवेदन की स्वीकृति के बाद, व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के मामले में, सचिव उपयुक्त प्रपत्र में उस वर्ष के लिए व्यवसाय के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एक पत्र जारी करेगा।
- (4) एक सदस्य जो व्यवसाय बंद करना चाहता है, उसे उस तिथि से जिस तिथि से वह व्यवसाय बंद कर देता है तीस दिनों के अंदर व्यवसाय बंद करने के इस तथ्य के बारे में लिखित रूप में संस्थान को सूचित करना होगा।
- (5) ऐसा सदस्य जो व्यवसाय बंद कर देता है या जिसके व्यवसाय के प्रमाण पत्र को विनियमन 11 के तहत रद्द कर दिया गया हो, उसे प्राप्त प्रमाणपत्र को वह सचिव को वापस देगा और किसी भी तरीके से उस प्रमाण पत्र या सदस्यता संख्या का उपयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा अथवा उपयोग या प्रदर्शन जारी नहीं रखेगा।
- (X) विनियमन 11 के लिए, निम्नलिखित विनियमन 11 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"11. व्यवसाय प्रमाण पत्र का रद्द होना —

(1) धारा 6 की उपधारा (1) के तहत जारी व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा, यदि —

- (ए) प्रमाणपत्र के धारक का नाम धारा 20 की उप-धाराओं (1) और (2) के तहत रजिस्टर से निकाल दिया जाता है; या
- (बी) संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, परिषद संतुष्ट होता है, कि इस तरह का प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्रदान की गई गलत, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर या गलती से या संस्थान द्वारा अनजाने में जारी किया गया था; या
- (सी) एक सदस्य जिसने व्यवसाय करना बंद कर दिया है; या
- (डी) एक सदस्य जिसने अपने व्यवसाय प्रमाणपत्र को वापस कर दिया है; या
- (ई) एक सदस्य जिसने प्रासंगिक वर्ष के 31 अगस्त तक अतिरिक्त शुल्क के साथ व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया है; या
- (एफ) एक सदस्य जिसने परिषद के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है।
- (जी) जिसकी भारतीय राष्ट्रियता समाप्त कर दी गयी है;

(2) प्रमाण पत्र का रद्द होना प्रभावी होगा, —

- (ए) उप-नियमन (1) के खंड (ए) के तहत आने वाले मामले में, उस तारीख को जिस अवधि और जिस अवधि के लिए प्रमाण पत्र धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर से निकाल दिया गया था;
- (बी) उप-विनियमन (1) के खंड (ई) के तहत आने वाले एक मामले में, संस्थान द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख के बाद से 15 वें दिन से या 1 सितंबर के बाद जो भी पहले हो; तथा
- (सी) किसी अन्य मामले में, ऐसी तिथि से और ऐसी अवधि के लिए, जो परिषद द्वारा अवधारित की जा सकती है;
- (3) जब कोई प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है, तो जिस तारीख से और जिस अवधि के लिए प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा, वह पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर या रजिस्टर में उपलब्ध ईमेल आईडी पर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपने व्यक्तिगत पते पर संबंधित सदस्य द्वारा लिखित रूप में सूचित किया जाएगा है और इसे जर्नल में भी प्रकाशित किया जा सकता है या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
- (4) जहां व्यवसाय का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है, ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को इस तरह के निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर सचिव को प्रमाण पत्र वापस कर देना चाहिए और किसी भी तरीके से प्रमाण पत्र या सदस्यता संख्या का उपयोग या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए या जारी रखना या प्रदर्शित करना जारी नहीं रखना चाहिए।

(xi) विनियमन 12 के लिए, निम्नलिखित विनियमन 12 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"12. सदस्यता निकाल की अधिसूचना : —

रजिस्टर से किसी भी सदस्य के नाम को निकालने के लिए उसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कूरियर से या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा रजिस्टर में उपलब्ध व्यक्तिगत पते और ईमेल आईडी पर लिखित रूप में सूचित किया जा सकता है और इसे उसी रूप में जर्नल में प्रकाशित या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है।"

(xii) विनियमन 13 में,—

(ए) उप-विनियमन (2) में, शब्द, "और" को शब्दों "साथ में" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(बी) उप-विनियमन (2) दूसरी शर्त में, शब्द, "या उच्च न्यायालय" को शब्दों "या किसी भी अधिकरण या न्यायालय" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सी) उप-विनियमन (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन (3) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(3) रजिस्टर में किसी सदस्य के नाम की पुनर्स्थापना को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कूरियर या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और इसे जर्नल में प्रकाशित या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है।"

(xiii) विनियमन 14 में, उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन 2 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(2) पुनर्स्थापना, व्यवसाय के प्रमाण पत्र की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन स्वीकार करने पर, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा और जर्नल में प्रकाशित या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है।

(xiv) "अध्याय. VI पंजीकृत छात्रों" के लिए, निम्नलिखित "अध्याय. VI छात्रों का पंजीकरण" प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

अध्याय IV

छात्रों का पंजीकरण

19ए. कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के पाठ्यक्रम —

कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के दो पाठ्यक्रम होंगे, अर्थात् —

(i) कार्यकारी पाठ्यक्रम ; तथा

(ii) व्यावसायिक पाठ्यक्रम;

बशर्ते कि संस्थान समय-समय पर यहां बताए गए चरणों की समीक्षा करे और परिषद द्वारा अवधारित तरीके से इसे संशोधित करे।

20. कार्यकारी पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए अपेक्षाएं —

(1) कार्यकारी पाठ्यक्रम के एक छात्र के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र बनने के लिए, किसी आवेदक, जो एक भारतीय नागरिक है, को उपयुक्त फॉर्म में, छात्र पंजीकरण शुल्क, वार्षिक सदस्यता, यदि लागू हो, शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क के साथ आवेदन करना होगा, जैसा कि परिषद द्वारा अवधारित किया जा सकता है और परिषद की संतुष्टि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करेगा, वह —

(i) भारत में कानून द्वारा स्थापित एक परीक्षा निकाय या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक परीक्षा निकाय द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा (10+2 प्रणाली) या बैचलर डिग्री कोर्स में प्रवेश के उद्देश्य से समकक्ष पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण की है और परिषद के द्वारा अवधारित आवश्यकताओं का अनुपालन करता है; तथा

(ii) संस्थान द्वारा आयोजित सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CSEET) को इस प्रकार, विधि और पात्रता में उत्तीर्ण किया गया हो जैसा कि परिषद ने अधारित किया या परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष किसी भी अन्य परीक्षा या परीक्षा में उत्तीर्ण किया है।

(2) उपरोक्त उप-विनियमन (1) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स में पंजीकरण के लिए विदेशी नागरिक को अनुमति दे सकती है।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को एक पहचान पत्र प्राप्त करेगा और उसे यह भी वचन देने होगा कि वह एक पंजीकृत छात्र के रूप में कंपनी सचिवों के व्यवसाय के आदर्शों और मानकों के अनुसार खुद का आचरण करेगा तथा परिषद के आदेश और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जिसका पंजीकरण के लिए आवेदन सचिव द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो वह भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए हकदार होगा, जो इस तरह के प्रशासनिक शुल्क की कटौती के अधीन होगा और यह परिषद अवधारित की सकती है।

21. छात्र का पंजीकरण और परीक्षाओं को पूरा करने की समय सीमा —

(1) पंजीकृत छात्र बनने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को इन विनियमनों के प्रावधानों के अनुसरण उस महीने से पांच साल की अवधि के लिए पंजीकृत किया जाएगा जिसमें महीने में सभी तरह से पूर्ण उसका आवेदन, पंजीकरण के लिए सचिव द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(2) किसी पंजीकृत छात्र को उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट पंजीकरण अवधि के भीतर कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा को पूरा करने की आवश्यकता होगी।

(3) किसी छात्र का पंजीकरण पाँच वर्ष की उक्त पंजीकरण अवधि की पूर्णता पर समाप्त होगा। उन्हें विनियमन 22 और 22ए के संदर्भ में समय-समय पर नवीनीकृत पंजीकरण की वैधता रखने के लिए आवश्यक फीस का भुगतान करना होगा जो कि परिषद् द्वारा अवधारित की जा सकती है ताकि वह प्रशिक्षण या किसी भी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या छूट का दावा करने के लिए या संस्थान का सदस्य बनने के लिए आवश्यक पात्रता की किसी भी औपचारिकता को पूरा कर सकें।

22. नये सिरों से पंजीकरण और पुनः पंजीकरण :-

एक छात्र जिसका पंजीकरण उप-नियमन (3) के तहत विनियमन 21 के तहत समाप्त कर दिया गया है, वह अपने पहले के पंजीकरण की समाप्ति के पाँच साल के भीतर, परिषद् द्वारा विनियमन 24 में एक पंजीकृत छात्र को नये सिरों से पंजीकृत छात्र बनने के लिए उपयुक्त प्रपत्र में निर्धारित अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए शिक्षा शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है, और सचिव द्वारा उसके आवेदन को स्वीकार किए जा जाने पर, उन्हें उन सभी उद्देश्यों के लिए समझा जाएगा जिन्हें एक नए पंजीकृत छात्र के रूप में भर्ती कराया गया था, सिवाय इसके कि वह छूट का दावा करने, किसी भी छूट शुल्क के भुगतान के बिना, व्यक्तिगत विषय (ओं) या समूह(ओं) या कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के मॉड्यूल से, पहले से ही संस्थान के साथ अपने पूर्व पंजीकरण के तहत उसके द्वारा प्राप्त किया हो, ऐसा भी मामला हो सकता है :

बशर्ते कि जहां एक छात्र पूर्व पंजीकरण की तारीख से पाँच साल की अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन करता है, लेकिन किसी पाठ्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम या कार्यकारी कार्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, वह परिषद् द्वारा अवधारित नियम और शर्तों पर व्यावसायिक कार्यक्रम में फिर से पंजीकरण करा सकता है

22ए . पंजीकरण की निरंतरता :-

एक छात्र जिसने व्यावसायिक प्रोग्राम की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसका पंजीकरण उप-नियमन (3) के विनियमन 21 के तहत समाप्त कर दिया गया है, वह अपने प्रशिक्षण को पूरा करने या किसी अन्य प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं या ऐसे शुल्क के भुगतान पर छूट जो परिषद् द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, के ब्योरे के लिए एक छात्र के रूप में अपने पंजीकरण को जारी रखने हेतु संस्थान में आवेदन करना होगा, जिससे वह संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकित हो सके।

23. पंजीकृत छात्र की प्रास्थिति :-

छात्र के रूप में एक व्यक्ति का पंजीकरण कराने मात्र से व्यक्ति को किसी भी सदस्य के अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा और न ही संस्थान या उसकी क्षेत्रीय परिषद् या शाखा की सदस्यता के किसी भी रूप का दावा करने का हकदार है, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि ऐसे छात्र को संस्थान, क्षेत्रीय परिषद् या शाखा के पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेने या संस्थान, उसकी क्षेत्रीय परिषद् या शाखा की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि यह मामला परिषद्, क्षेत्रीय परिषद् या शाखा, जैसा भी मामला हो द्वारा अवधारित किए जा सकने वाले ऐसी स्थितियों के अधीन हो सकता है ।

25. पंजीकृत छात्र के लिए शुल्क :-

(1) एक छात्र के रूप में पंजीकृत व्यक्ति को ऐसे शुल्क या अन्य सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा जो संस्थान के लिए उपयुक्त और देय होगा जो परिषद् द्वारा अवधारित किया जा सकता है।

(2) किसी भी परीक्षा के लिए या एक छात्र के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक द्वारा या उसके लिए प्रदान की जाने वाली विशेष सेवाओं के लिए एक पंजीकृत छात्र द्वारा देय अन्य सभी शुल्क जो समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

26. परीक्षा की अपेक्षाएं -

(1) पंजीकृत छात्रों से परीक्षा की ऐसी शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा जो परिषद् द्वारा समय समय पर अवधारित की जा सकती हैं।

(2) परीक्षा समिति या इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अभिलिखित किए जाए कारणों से -

(i) किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से रोक सकेगा; या

(ii) उसे ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए सम्मिलित कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित युक्त समझे; या

(iii) उसे सामान्य अनुक्रम में उसकी परीक्षा देने पश्चात् परीक्षा भवन परीक्षा से निष्कासित कर सकेगा।

(iv) परीक्षा की गोपनीयता, शिष्टाचार और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्रवाई करना या इस तरह के उपायों या माध्यमों को अपनाना।

(3) इस बात के बावजूद कि किसी परीक्षार्थी ने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों, परीक्षा समिति उसके परीक्षाफल को रोक और रद्द कर सकेगी।

(4) परीक्षा समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा पारित किसी भी आदेश का पुनर्विश्लेषण कर सकती है और परीक्षा समिति द्वारा पारित किसी भी आदेश की परिषद् द्वारा पुनर्विश्लेषण किया जा सकता है।

27. परीक्षा परिणाम या पंजीकरण का निलंबन और रद्दिकरण :-

किसी पंजीकृत छात्र या संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा के लिए नामांकित किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी अवचार की दशा में, सम्बन्धित परिवाद या समिति स्वतः या किसी परिवाद के प्राप्त होने पर, यदि ऐसे अन्वेषण करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और छात्र या अभ्यर्थी को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद उसका समाधान हो जाता है कि अवचार साबित हो चुका है, यथास्थिति, उसे किसी एक या एक से अधिक परीक्षाओं में उपस्थित होने निलंबित करने या रोकने अथवा उसका परीक्षा परिणाम, या छात्र के रूप में पंजीकरण रद्द कर सकता है, या एक छात्र के रूप में भविष्य के पंजीकरण से उसे रोक सकते हैं, या ऐसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं या इस तरह के उपायों या साधनों को अपना सकते हैं जिन्हें इस संबंध में उपयुक्त माना जा सकता है।

28. शिक्षण और प्रशिक्षण प्रशासन :-

(1) परिषद् डाक, क्लास रूम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या किसी अन्य विधि के माध्यम से इस तरह की अवधि के लिए शिक्षण या प्रशिक्षण या दोनों को समय-समय पर निर्धारित और प्रदान करने की व्यवस्था कर सकती है।

(2) इस प्रयोजन के लिए संस्थान शिक्षण और प्रशिक्षण प्रशासन, यथानाम, की स्थापना और संचालन कर सकता है, दिशानिर्देश बना सकता है और इसके लिए मान्य शुल्क ले सकता है जो कि परिषद् द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) संस्थान छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षक या एक संगठन या एक संस्था के चयन और पंजीकरण के लिए मापदंड निर्धारित कर सकता है।

(4) शिक्षण और प्रशिक्षण प्रशासन परिषद् की देखरेख, नियंत्रण और दिशानिर्देश के अधीन कार्य करेगा।

(xv) "अध्याय IVअ कॉर्पोरेट अनुपालन कार्यकारी प्रमाणपत्र-आईसीएसआई", के लिए निम्नलिखित, "अध्याय IVअ. आईसीएसआई सचिवीय कार्यकारी प्रमाण पत्र" प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"अध्याय IVअ

आईसीएसआई सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र

28ए. आईसीएसआई सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र -

(1) संस्थान अपने छात्र को "आईसीएसआई सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र" प्रदान कर सकता है, जो : -

(i) कार्यकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है;

(ii) कार्यकारी विकास कार्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण किया है; तथा

(iii) ऐसे तरीके और विधि में आवेदन करता है और शुल्क के साथ जो कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(2) इस तरह के सचिवीय कार्यकारी नियमित कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को जारी रख सकते हैं।

(3) ऐसी सचिवीय कार्यकारी वार्षिक आधार पर आईसीएसआई सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित व्यावसायिक विकास क्रेडिट घंटे (PDCH) की संख्या प्राप्त करनी होगी।

(4) आईसीएसआई सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र का अनुदान न तो ऐसे सेक्रेटेरियल एग्जीक्यूटिव (आईसीएसआई) को सदस्य के किसी के प्रकार का अधिकार प्रदान करेगा, और न ही उसे संस्थान की सदस्यता का दावा करने का अधिकार देगा। हालांकि, परिषद् सचिवीय कार्यकारी (आईसीएसआई) को ऐसी मान्यता दे सकती है जो समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है।

(6) उपरोक्त बातों के होते हुए भी, संस्थान उस व्यक्ति को आईसीएसआई सचिवीय कार्यकारी प्रमाणपत्र दे सकता है, जो परिषद् द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों को पूरा करने पर कॉर्पोरेट अनुपालन कार्यकारी प्रमाणपत्र धारण कर सकता है।

28B. कॉर्पोरेट अनुपालन कार्यकारी प्रमाणपत्र धारक की स्थिति :-

कॉर्पोरेट अनुपालन कार्यकारी प्रमाणपत्र धारक पूर्व विनियमन के तहत अधिशासित होगा।

(xvi) "अध्याय VI. परीक्षाएँ" के लिए निम्नलिखित "अध्याय VI. परीक्षाएँ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"अध्याय VI

परीक्षा

31. कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स की परीक्षाएँ-

(1) कंपनी सेक्रेटरीशिप परीक्षा के दो चरण होंगे, अर्थात्: -

(i) कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा; तथा

(ii) व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा

परन्तु कि संस्थान समय-समय पर यहां वर्णित चरणों की समीक्षा कर सकता है और परिषद द्वारा निर्धारित प्रणाली के अंतर्गत इसे संशोधित कर सकता है।

(2) परीक्षा का आयोजन और परीक्षा के लिए आवेदन निम्नलिखित प्रणाली के अंतर्गत होगा —

- (i) परीक्षाएं परिषद द्वारा ऐसे तरीके से और ऐसे समय पर तथा भारत और विदेशों में निर्धारित की जा सकती हैं, बशर्ते कि परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाए।
- (ii) परीक्षा की तिथियों एवं स्थानों और अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर या जर्नल में या छात्र कंपनी सचिव बुलेटिन में प्रकाशित की जा सकती है।
- (iii) किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए या किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट के लिए उम्मीदवार को उपयुक्त रूप, तरीके, विधि से सचिव को आवेदन करना होगा और समय-समय पर परिषद द्वारा इसके लिए शुल्क निर्धारित की जा सकती है।

32. परीक्षा शुल्क की वापसी :-

(1) छात्र द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसी स्थिति जहां, एक उम्मीदवार परीक्षा की अंतिम तिथि से कम से कम तीस दिन पहले संस्थान में इस आधार पर परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए आवेदन करता है कि उसे उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के आधार पर परीक्षा में भाग लेने से रोका गया था और इस मामले में संस्थान की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेजी सबूत और जानकारी प्रस्तुत करने पर, संस्थान उसके द्वारा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क की पचास प्रतिशत राशि को वापस करने की अनुमति दे सकता है।

33. परीक्षा केंद्र, माध्यम और मॉड्यूल को बदलना :-

परीक्षा केंद्र, माध्यम या मॉड्यूल में परिवर्तन के लिए आवेदन पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जहां उस उद्देश्य के लिए परीक्षा शुरू होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले संस्थान द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है, तो संस्थान इस बदलाव की अनुमति दे सकता है और इसके लिए शुल्क का भुगतान परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

34. यात्रा रियायत :-

संस्थान द्वारा छात्र के आवेदन पर भारत में उसके निवास से अन्य पर पर संस्थान की परीक्षा या किसी भी अध्ययन दौरे या शोध यात्रा के लिए किसी भी यात्रा रियायत को सुनिश्चित करने के लिए उसे सुविधा प्रदान करने के लिए इस तरह के छात्र के संबंध के बारे में पुष्टि प्रदान की जा सकती है।

35. कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए नामांकन :-

कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के महीने से कम से कम छह कैलेंडर महीने पहले खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी, यानी दिसंबर में कोई भी परीक्षा शुरू होने पर, उम्मीदवार को इस परीक्षा शुल्क के साथ उस कैलेंडर वर्ष के मई महीने और इस तरह के मोड में पंजीकृत होना है, जिसे परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि संस्थान कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा से पहले प्री-एग्जाम टेस्ट आयोजित कर सकता है, जो कि परिषद् द्वारा उस छात्र के लिए अवधारित किया जा सकता है, जो प्री-एग्जाम टेस्ट में उपस्थित होने विकल्प अपनाता है।

इसके आलावा एक उम्मीदवार को कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा के एक या एक से अधिक समूहों या मॉड्यूल में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है, जो परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकती है, यदि वह एक छात्र के रूप में महीने से पहले चार कैलेंडर महीनों की अवधि के लिए पंजीकृत है, जिसमें परीक्षा शुरू होनी है, यानी यदि परीक्षा दिसंबर में शुरू होती है, तो एक उम्मीदवार को उस वर्ष के जुलाई तक पंजीकृत किया जाएगा।

36. कार्यकारी प्रोग्राम परीक्षा की पाठ्यक्रम सामग्री —

(1) कार्यकारी प्रोग्राम परीक्षा के लिए पंजीकृत एक छात्र की परीक्षा ऐसे प्रश्नपत्रों या मॉड्यूलों की संख्या में होगी जिन्हें परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जिसे जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) कार्यकारी प्रोग्राम परीक्षा का पाठ्यक्रम परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसे जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) एक उम्मीदवार को कार्यकारी प्रोग्राम परीक्षा के सभी समूहों या मॉड्यूल में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि:

- (i) एक ही समय, वह एक परीक्षा में, न्यूनतम चालीस प्रतिशत प्राप्त करता है। प्रत्येक प्रपत्र में अंक जिसमें उसे उपस्थित होना आवश्यक है और पचास प्रतिशत। एक साथ सभी पत्रों के कुल अंक; या
- (ii) वह उत्तीर्ण है या व्यक्तिगत प्रपत्र या समूह या मॉड्यूल से छूट प्राप्त करता है और एक में न्यूनतम चालीस प्रतिशत प्राप्त करता है। सभी बचे हुए प्रपत्र में अंक और पचास फीसदी। ऐसे सभी बचे हुए प्रपत्र (ओं) को एक साथ रखा जाता

है, जिसमें उन्हें परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार पिछले पाठ्यक्रम से नए सिलेबस में आने पर उपस्थित होना आवश्यक है;

बशर्ते, यदि किसी उम्मीदवार ने स्विचओवर पर नए पाठ्यक्रम के तहत किसी भी मॉड्यूल या समूह को उत्तीर्ण किया है, तो उप-विनियमन (ii) उसके ऊपर लागू नहीं होगा।

(4) एक उम्मीदवार को एक समूह या मॉड्यूल में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह एक बार की परीक्षा में, प्रत्येक प्रपत्र में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उस समूह या मॉड्यूल के सभी प्रपत्र का समेकित अंक पचास फीसदी है। उम्मीदवार को सभी समूहों या मॉड्यूल को उत्तीर्ण करने पर कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने की घोषणा की जाएगी।

बशर्ते कि एक उम्मीदवार एक समूह या मॉड्यूल के प्रपत्र में शामिल हुआ हो, जिसके लिए उसे नामांकन करने की आवश्यकता थी और साठ प्रतिशत या किसी भी प्रपत्र में अधिक अंक और मॉड्यूल के शेष प्रपत्रों में से प्रत्येक में न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो लेकिन मॉड्यूल में अनुत्तीर्ण हो गया हो, उन्हें या उन प्रपत्रों से छूट दी जाएगी, जिसमें उन्होंने बाद के किसी भी परीक्षा में साठ प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया था :

बशर्ते यदि कोई उम्मीदवार जो मॉड्यूल के सभी प्रपत्रों में उपस्थित हुआ है या जिसे वह मॉड्यूल के किसी भी प्रपत्र में छूट प्राप्त किए बिना नामांकन किया गया था और मॉड्यूल में शामिल एक प्रपत्र में अनुत्तीर्ण रहा है, लेकिन मॉड्यूल के शेष प्रपत्र के कुल अंकों में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किया, को उस मॉड्यूल में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह उस पेपर में फिर से शामिल हो जाता है जिसमें वह अनुत्तीर्ण हो गया था और किसी भी बाद की परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक हासिल करता है।

बशर्ते कि छूट को रद्द कर दिया गया समझा जाएगा यदि उम्मीदवार परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड के प्रभाव के लिए या अंतिम तिथि तक रद्द करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समर्थन के बावजूद इस तरह से छूट वाले कागजों की परीक्षा में दिखाई देता है, जिस परीक्षा के लिए नामांकन जिसमें वह उपस्थित होना चाहता है।

स्पष्टीकरण 1 – पहले अनंतिम के प्रयोजनों के लिए, एक उम्मीदवार द्वारा प्रपत्र (ओं) में प्राप्त किए गए अंक, जिसमें उसने साठ प्रतिशत अंक प्राप्त होने के आधार पर छूट प्राप्त की थी या बाद के किसी भी परीक्षा के लिए उस मॉड्यूल के शेष पेपर के लिए उसके परिणाम की गणना के लिए अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।

स्पष्टीकरण 2 – दूसरे अनंतिम के प्रयोजनों के लिए, छूट केवल तीन या अधिक प्रपत्रों के साथ मॉड्यूल के लिए लागू होगी।

स्पष्टीकरण 3 – तीसरे अनंतिम के प्रयोजनों के लिए, यदि छूट को उपस्थिति या रद्द करने के अनुरोध के आधार पर रद्द कर दिया जाता है, तो एक संभावना यह है कि दूसरे प्रोविजो के अनुसार अन्य संबंधित प्रपत्र में दी गई छूट ऐसे मामलों में शून्य हो सकती है परीक्षाओं में पुनः उपस्थिति या अनुपस्थिति पर को ध्यान में रखते हुए प्राप्त वास्तविक अंक को एक मामला माना जाएगा क्योंकि यह उसके परिणाम की गणना के लिए हो सकता है।

(5) एक उम्मीदवार को कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा में विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह प्रत्येक प्रपत्र में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक और कोई छूट प्राप्त किए बिना दोनों समूहों या मॉड्यूल में कुल अंक में सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक अंक एक सिटिंग में प्राप्त करता है।

37. कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा के प्रपत्रों से छूट –

(1) परिषद समय-समय पर कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा के व्यक्तिगत पेपर या समूह या मॉड्यूल का निर्धारण कर सकती है, जिसमें से ऐसे छात्रों को छूट दी जा सकती है, जिन्होंने भारत या विदेश में किसी भी विश्वविद्यालय या इस तरह के पेशेवर संस्थानों या निकायों के पारस्परिक आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिसे इस संबंध में परिषद द्वारा और इस तरह के शुल्क छूट के भुगतान पर मान्यता प्रदान किया जा सकता है।

(2) परिषद समय-समय पर कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा के संबंधित व्यक्तिगत प्रपत्र या समूह या मॉड्यूल का निर्धारण कर सकती है, जिसमें एक उम्मीदवार जिसे विनियमन 22 के तहत नये सिलेबस से पंजीकृत छात्र के रूप में शामिल किया गया है और व्यक्तिगत प्रपत्र या समूह या मॉड्यूल से उसके द्वारा अपने पिछले पंजीकरण के तहत और इस तरह के शुल्क छूट के भुगतान के आधार पर छूट दी जाएगी।

(3) परिषद समय-समय पर कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा के व्यक्तिगत प्रपत्र या समूह या मॉड्यूल का निर्धारण कर सकती है, जिसमें एक उम्मीदवार को अलग-अलग प्रपत्र या समूह या मॉड्यूल से परिषद् द्वारा अधिसूचित पाठ्यक्रम के तहत उसके द्वारा पिछले छूट के आधार पर छूट दी जाएगी।

38. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश –

(1) व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए, एक पंजीकृत छात्र को उपयुक्त फॉर्म में, छात्र पंजीकरण शुल्क, वार्षिक सदस्यता, शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क, जिसे शुल्क परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और परिषद की संतुष्टि के लिए कि उसने संस्थान के कार्यकारी प्रोग्राम को उत्तीर्ण किया है या उसे उससे छूट दी गई है; का प्रमाण के साथ आवेदन करना होगा।

(2) प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले एक पंजीकृत छात्र को एक पहचान पत्र प्राप्त होगा और यह भी वचन देना होगा कि वह एक पंजीकृत छात्र के रूप में कंपनी सचिव पेशेवर के आदर्शों और मानकों के अनुसार अपना आचरण प्रस्तुत करेगा और परिषद के आदेशों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक पंजीकृत छात्र जिसका प्रवेश के लिए आवेदन सचिव द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, वह अपने द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का हकदार होगा, जिसका भुगतान परिषद द्वारा निर्धारित प्रशासनिक शुल्क की कटौती के पश्चात् की जा सकती है।

39. व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए नामांकन :-

व्यावसायिक प्रोग्राम परीक्षा में नामांकन हेतु पात्र बनने के लिए, इस तरह के छात्र को निम्नलिखित योग्यता की आवश्यकता होगी: -

(1) कम से कम छह कैलेंडर महीनों से पहले व्यावसायिक प्रोग्राम के लिए स्वयं को पंजीकृत करें, जिसमें परीक्षा शुरू होनी है, यानी, दिसंबर में परीक्षा शुरू होने के लिए, छात्र को उस कैलेंडर वर्ष के मई के महीने तक और मई के महीने सहित पंजीकरण की अनुमति इस तरह की प्रणाली और माध्यम में परिषद द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ, दी जा सकता है,

बशर्ते कि संस्थान कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा से पहले प्री-एग्जाम टेस्ट आयोजित कर सकता है, जिसे परिषद द्वारा उस छात्र के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जो प्री-एग्जाम टेस्ट में उपस्थित होने का विकल्प अपनाता है:

इसके अतिरिक्त एक छात्र को परीक्षा के एक या एक से अधिक समूहों या मॉड्यूल में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, यदि वह उस महीने से कम से कम चार कैलेंडर महीनों की अवधि के लिए छात्र के रूप में पंजीकृत है, जिसमें परीक्षा शुरू होनी है, यानी यदि परीक्षा दिसंबर में शुरू होती है, तो एक उम्मीदवार को उस वर्ष के जुलाई महीने तक पंजीकृत किया जाएगा।

(2) विनियमन 46 बीबी(1)(ए) में दिए गए कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) को पूरा करें या उसमें छूट प्राप्त करें।

(3) विनियमन 46 बीबी (1) (बी) में दिए गए व्यावहारिक प्रशिक्षण को पूरा करें; या उसमें छूट प्राप्त करें।

40. व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम विषयवस्तु:

(1) व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र की परीक्षा ऐसे प्रश्नपत्रों में की जाएगी जिसमें परिषद द्वारा निर्धारित ग्रुप या मॉड्यूल की ऐसी संख्या शामिल की जा सकती हैं, जिसे पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार से होगा जो परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जिसे पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के सभी ग्रुप या मॉड्यूल में उम्मीदवार को तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि:

(i) एक साथ मिलाकर, वह एक बार में जिस परीक्षा में भाग ले रहा है उसमें न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक और एक साथ मिलाकर सभी पेपरों में औसत पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है; या

(ii) वह व्यक्तिगत पेपर या ग्रुप या मॉड्यूल में उत्तीर्ण या छूट प्राप्त किया है और परिषद द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार पिछले पाठ्यक्रम से नये पाठ्यक्रम में प्रवेश करते हुए एक बार में प्रत्येक शेष पेपर में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और जिसमें शामिल हुआ है, उसे एक साथ मिलाकर सभी शेष पेपरों में औसत पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है;

बशर्ते कि यदि उम्मीदवार परिवर्तन पर नये पाठ्यक्रम के अधीन किसी मॉड्यूल या ग्रुप में उत्तीर्ण है तो उपरोक्त उप-विनियम (ii) उस पर लागू नहीं होगा।

(4) उम्मीदवार को एक ग्रुप या मॉड्यूल में तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक बार में प्रत्येक पेपर में चालीस प्रतिशत अंक और उस ग्रुप या मॉड्यूल के सभी पेपरों में औसत पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। सभी ग्रुप या मॉड्यूल का उत्तीर्ण करने पर ही उम्मीदवार को प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

बशर्ते कि एक उम्मीदवार उस ग्रुप या मॉड्यूल के पेपर में शामिल हुआ है जिसके लिए उसने नामांकन किया है और किसी भी पेपर में साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं और मॉड्यूल के शेष पेपरों में प्रत्येक में न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं लेकिन मॉड्यूल में अनुत्तीर्ण होने पर उसे उस पेपर या उन पेपरों में छूट दी जाएगी जिसमें उसने किसी भी अनुवर्ती परीक्षा में साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं।

बशर्ते कि आगे यदि उम्मीदवार जो मॉड्यूल के किसी भी पेपर में छूट प्राप्त किये बिना मॉड्यूल के उन सभी पेपरों में शामिल हुआ है जिसके लिए उसने नामांकन कराया था और मॉड्यूल के एक पेपर में फेल होता है लेकिन मॉड्यूल के शेष पेपरों में कुल अंकों का साठ प्रतिशत प्राप्त करता है तो उसे उस स्थिति में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह उस पेपर में दोबारा शामिल होता है और किसी अनुवर्ती परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

बशर्ते कि छूट को उस स्थिति में निरस्त माना जाएगा यदि उम्मीदवार परीक्षाओं के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र या प्रवेश पत्र में उस सीमा तक अनुमोदन के बावजूद ऐसे छूट पेपरों में शामिल होता है या उस परीक्षा के लिए नामांकन की अंतिम तिथि तक निरस्तीकरण के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अंतिम तिथि तक निरस्तीकरण के लिए नामांकन करता है जिसमें वह उपस्थित होना चाहता है।

स्पष्टीकरण—1 : पहले नियम के प्रयोजन के लिए, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये अंक जिसमें उसे साठ प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करने के आधार पर छूट दी गई थी, किसी अनुवर्ती परीक्षा में उस मॉड्यूल के शेष पेपरों के लिए उसके परिणाम की गणना के लिए इस बात को ध्यान में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण —2: दूसरे नियम के प्रयोजन के लिए, छूट तीन या अधिक पेपरों के साथ केवल मॉड्यूल के लिए लागू होगी।

स्पष्टीकरण —3: तीसरे नियम के प्रयोजन के लिए, यदि शामिल होने या निरस्तीकरण अनुरोध के आधार पर छूट निरस्त की जाती है तो दूसरी संभावना के अनुसार अन्य संबंधित पेपरों में दी गई छूट की संभावना कम हो जाती है, जिस स्थिति में परीक्षाओं में पुनर्नियुक्ति या अनुस्थित माने जाने पर प्राप्त वास्वविक अंक को ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि यह मामला उनके परिणाम की गणना के लिए हो सकता है।

(5) उम्मीदवार को व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा में विषिष्टता के साथ उत्तीर्ण तभी घोषित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के एक बार में प्रत्येक पेपर में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक या सभी ग्रुप या मॉड्यूल में औसत सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है।

41. व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के पेपरों से छूट:

(1) परिषद समय-समय पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के विशिष्ट पेपर का निर्धारण कर सकती है, जिसमें किसी ऐसे छात्र को छूट दी जा सकती है, जिसने किसी विश्वविद्यालय से इस तरह की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या भारत या विदेश में ऐसे व्यावसायिक संस्थान या निकाय के पारस्परिक आधार पर जैसा कि परिषद द्वारा पारस्परिक आधार पर और इस तरह के छूट शुल्क के भुगतान पर पहचाना जाता है।

(2) परिषद समय-समय पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के संबंधित विशिष्ट पेपर या समूह या मॉड्यूल का निर्धारण कर सकती है, जिसमें से एक उम्मीदवार जिसे डी नोवो पंजीकृत छात्र या विनियमन 23 के तहत फिर से पंजीकृत छात्र के रूप में स्वीकार किया गया है, को छूट दी जाएगी; विशिष्ट पेपर या समूह या मॉड्यूल से छूट के आधार पर पहले उसके द्वारा अपने पिछले पंजीकरण के तहत और इस तरह के छूट शुल्क के भुगतान पर ऐसी सुविधा दी जाती है।

(3) परिषद समय-समय पर प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा के विशिष्ट पेपर या समूह या मॉड्यूल का निर्धारण कर सकती है, जिसमें परिषद् द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर उम्मीदवार को विशिष्ट पेपर से छूट के तहत, जिसे उसने पहले ही दे दिया है, उस उम्मीदवार को उस विशेष पेपर देने और उसकी छूट वाला शुल्क देने से छूट दी जा सकती है।

42. परीक्षा परिणाम:—

(1) प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर में प्राप्त अंकों और उसके परिणाम के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में विशिष्ट प्रश्न या एक पेपर के अनुभागों में प्राप्त अंकों के बारे में नहीं बताया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में उपयुक्त प्रारूप में संस्थान द्वारा जारी किए गए परिणाम-सह-अंक विवरण ही केवल निर्णायक प्रमाण होगा।

(2) अभ्यर्थी अपनी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 21 दिनों के भीतर संस्थान इस सत्यापन के लिए कि किसी भी परीक्षा के किसी विशेष पेपर में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जांच की गई है या उसका अंक दिया गया है या नहीं, ऐसे शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है जो कि परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

इस आवेदन के बावजूद अंकों का सत्यापन उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए नहीं होगा और उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का हकदार नहीं होगा।

(3) प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सचिव द्वारा उपयुक्त प्रारूप या इलेक्ट्रॉनिक मोड में उस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(4) यदि ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा का परिणाम किसी त्रुटि या उस प्रकृति के किसी अन्य घटना से प्रभावित हुआ है, तो परीक्षा समिति के पास इस तरह के परिणाम को ठीक करने की शक्ति होगी और वह इसे सही स्थिति में प्रस्तुत करेगा और अगर वह आवश्यक समझता है, तो इसकी घोषणा कर सकता है।

43. परीक्षा में छूट की पुनर्प्राप्ति

यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है और किसी भी विनियम के तहत उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त किसी भी परीक्षा या किसी भी समूह या परीक्षा के मॉड्यूल के परिणाम में छूट रद्द करने की अनुमति दी जाती है, वह पहले सफल हो चुके इस तरह के समूह या मॉड्यूल के लाभ या फिर छूट को पुनः प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।

(xvii) "अध्याय VI परीक्षा" में, नियम 44, 44ए, 44एए, 44बी, 45, 46 और 46ए को निकाल दिया जाएगा।

(XViii) "अध्याय VIए. व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण आवश्यकताएं" के बाद निम्नलिखित नया "अध्याय VIबी. व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण आवश्यकताएं" अंतर्स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“अध्याय VI बी

व्यवहारिक अनुभव एवं प्रशिक्षण आवश्यकता

46 बीए. अध्याय VIबी की प्रासंगिकता:—

- (1) इस अध्याय के लागू होने की तिथि पर अध्याय VIए या अध्याय VIII के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करते रहने वाले छात्र होने के बावजूद उन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उसे प्रशिक्षण जारी रखने और पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।
- (2) यदि किसी भी छात्र ने इस अध्याय के लागू होने की तिथि पर अपने प्रशिक्षण की शुरुआत नहीं की है, तो इस अध्याय के प्रावधान कार्यकारी कार्यक्रम या व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए उसके पंजीकरण की तारीख की परवाह किए बिना काउंसिल द्वारा निर्धारित किए जाने के आधार पर उसी तारीख से उसके लिए भी लागू होंगे।

46बीबी. व्यवहारिक अनुभव एवं प्रशिक्षण आवश्यकता—

(1) एक उम्मीदवार निम्नलिखित प्रशिक्षण को इस तरीके और ढंग से पूरा करेगा जैसा कि परिषद द्वारा अवधारित किया जा सकता है:

(क) कार्यकारी पाठ्यक्रम परीक्षा में सफल होने के बाद एक महीने की अवधि के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी);

(ख) कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के पूरा होने के बाद सामान्य कार्यकारी घंटों के दौरान पूरे समय के आधार पर 21 महीने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण.—

(i) किसी कंपनी में, जिसमें पूरे समय के लिए एक कंपनी सचिव हो या ऐसी कंपनियां जो परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं; या

(ii) परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कंपनी सचिव के अधीन; या

(iii) किसी अन्य निकाय कॉरपोरेट या संस्था या संगठन या संस्थाओं में, जो परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है,

(ग) व्यावसायिक परीक्षा में सफल होने के बाद कम से कम 30 दिन और अधिक से अधिक 60 दिन के लिए कार्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएलडीपी), जैसा कि परिषद् ने निर्णित किया है।

46 बीसी. व्यावहारिक परीक्षण एवं ईडीपी से छूट—

कोई भी छात्र जो ईडीपी और नियमन 46 बीबी में बताए गए व्यावहारिक परीक्षण के समान ज्ञान और कौशल हासिल करने का दावा करता है, वो परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ईडीपी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से गुजरने से छूट के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन पर विचार करने के बाद परिषद पूर्ण या आंशिक छूट या सशर्त छूट दे सकती है या आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

46 बीडी. प्रायोगिक परीक्षण का प्रमाण

वैसे छात्र जिन्होंने आवश्यक व्यावहारिक परीक्षण कर लिया है या फिर इन विनियमों के आधार पर उसे इससे छूट दी गई हो, तो उसे काउंसिल को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण और सहायक सदस्य के लिए उपयुक्त प्रारूप में अपना आवेदन देना होगा।

46बीई. ईडीपी और सीएलडीपी सहित प्रशिक्षण के दौरान किए गए अवाचार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई:—

प्रायोगिक प्रशिक्षण या ईडीपी या सीएलडीपी से गुजरने वाले किसी भी उम्मीदवार के किसी भी आचार संहिता या किसी भी विनियमन के उल्लंघन या उल्लंघन की स्थिति में परिषद शिकायत होने पर या फिर स्वतः से कार्रवाई कर सकती है और यदि इस तरह की जांच के बाद परिषद इस तरह के अवाचार या उल्लंघन के आरोप को सही पाता है, तो आवश्यक होने के बाद उसकी बात सुनने के पश्चात उम्मीदवार को फटकार सकता है या छात्र के रूप में उसका पंजीकरण रद्द कर सकता है या निलंबित कर सकता है या संस्थान के किसी एक या अधिक परीक्षाओं में उपस्थित होने से मना कर सकता है या निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा लिया गया प्रशिक्षण की अवधि 46बीए के नियमन के लिए नहीं मानी जाएगी या उस उम्मीदवार को संस्था के सहयुक्त सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

(xix) “अध्याय VIIए. सफल होने के बाद का पाठ्यक्रम एवं परीक्षाएं”, के लिए निम्न “अध्याय VIIA. विशेषीकृत एवं प्रमाणन पाठ्यक्रम एवं परीक्षाएं” को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“अध्याय VIIए

विशेषीकृत और प्रमाणन पाठ्यक्रम और परीक्षा

55बी. विशेष और उन्नत पाठ्यक्रम और परीक्षाएं:

परिषद ऐसे विशेष और उन्नत पाठ्यक्रम संचालित कर सकती है, जो उसके विचार में छात्रों और सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए उपयोगी हो सकता है और ऐसे विशिष्ट पाठ्यक्रमों के विषयों के लिए व्यावहारिक या सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करने और

परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था कर सकती है और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणपत्र या डिप्लोमा प्रदान कर सकता है।

55सी. विशिष्ट पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान करना —

विशिष्ट पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवार को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसे संस्थान द्वारा उचित रूप में उस प्रभाव के लिए अनुमति दी जा सकती है और वह इस तरह के विवरण का उपयोग करने का अधिकारी होगा जो संबंधित पाठ्यक्रम के लिए परिषद द्वारा इस तथ्य के साथ निर्धारित किया जा सकता है, कि उसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिया गया है।

55डी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम:—

संस्थान अपने सदस्यों के लिए इस तरह एवं विधि से और परिषद द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले एक अंतराल के बाद पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और परीक्षा आयोजित करेगा :

बशर्ते कि संस्थान इस तरह के मानदंडों को पूरा करने वाले सदस्य को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में शामिल होने से छूट दे सकता है, जिसे परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इससे छूट के इच्छुक सदस्य को संस्थान से उपयुक्त माध्यम, तरीके, विधि तथा ऐसी फीस, जिसे समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकती है के साथ अनुरोध करना होगा।

(xv) विनियमन 55ई से 55एस को हटा दिया जाएगा।

(xvi) विनियमन 100 में, खंड (ई) में, शब्द, "खंड (1)" को शब्द "खंड (एच)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xvii) विनियमन 105 के बाद, निम्नलिखित नए "विनियमन 105ए. बोर्डों का गठन" और "विनियमन 105बी. शैक्षणिक बोर्ड को अन्तस्थापित किया जाएगा :-

"105ए. बोर्ड का गठन

(1) परिषद सचिवीय मानक बोर्ड, अंकेक्षण मानक बोर्ड और ऐसे अन्य बोर्ड का गठन कर सकता है जो संस्थान के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकता है।

(2) उप-नियमन (1) के तहत गठित बोर्ड परिषद की निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन के तहत कार्य करेगा।

(3) ऐसे सदस्य जिनका किसी भी मामले में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई वित्तीय हित है जिसे बोर्ड के विचारार्थ लाया जाता है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके, इस मामले में अपने हित की प्रकृति का खुलासा करना होगा और इस तरह के प्रकटीकरण को बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। सदस्य ऐसे मामले में बोर्ड के किसी भी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेंगे।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए, "वित्तीय हित" का अर्थ एक ऐसा हित है जो किसी व्यक्ति के उल्लेखनीय वित्तीय लाभ की तार्किक संभावना या अपेक्षा के कारण होता है।

(4) अधिनियम और विनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपने किसी कार्य और कृत्य को किसी अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या परिषद के सदस्य या सचिव या मुख्य कार्यकारी या संस्थान का कोई अन्य अधिकारी जो निदेशक के पद से नीचे का न हो, जिसे वे आवश्यक और उचित समझें प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी।

(5) विशेष प्रावधानों के अलावा, परिषद और उसकी समितियों की बैठकों, सूचना, स्थगन, पुनर्निर्धारण, कोरम, प्रस्ताव पर विचार और कार्यवृत्त के संबंध में प्रावधान बोर्ड की बैठकों के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

105बी. शैक्षणिक बोर्ड—

(1) परिषद निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक शैक्षणिक बोर्ड का गठन करेगा, अर्थात्—

(ए) एक अध्यक्ष जो प्रख्यात व्यक्ति होगा और किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त प्रबंधन संस्थान में कुलपति, उप कुलपति या लेखाशास्त्र, वित्त, कानून या व्यवसाय प्रबंधन या समान विधा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है या कार्यरत रहा हो ;

(बी) दो व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय में कुलपति या लेखाशास्त्र, वित्त, कानून या व्यवसाय प्रबंधन या समान विधा में प्रोफेसर का पद धारण करते हो ;

(सी) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव या उससे ऊपर का पद रखता हो ;

(डी) चैंबर द्वारा नामित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति;

(ई) संस्थान के दो प्रतिष्ठित सदस्य, जिनमें से एक सदस्य व्यवसाय कर रहा होगा और दूसरा रोजगार से होगा;

(एफ) कानूनी पेशे से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;

(जी) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;

(एच) मानव संसाधन क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;

- (आई) टीईएफसी के अध्यक्ष—पदेन सदस्य
- (जे) पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का अध्यक्ष—पदेन सदस्य
- (के) आईसीएसआई विजन ग्रुप के अध्यक्ष, यदि कोई हो—पदेन सदस्य
- (एल) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य;
- (एम) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का सदस्य
- (एन) संस्थान के सचिव—पदेन सदस्य तथा
- (ओ) शैक्षणिक निदेशालय के प्रमुख, जिस भी नाम से जाना जाता हो, वह अकादमिक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे।
- (2) अध्यक्ष, शैक्षणिक बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- (3) शैक्षणिक बोर्ड के सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय परिषद द्वारा निर्धारित किए गए ऐसी अवधि तक पद धारण कर सकते हैं और अकादमिक बोर्ड में कोई भी रिक्ति परिषद द्वारा उसी तरह भरा जाएगा जिस सदस्य की रिक्ति होगी।
- (4) शैक्षणिक बोर्ड के सदस्य बैठकों के फीस, यात्रा, वाहन और अन्य भत्ते के हकदार होंगे जिसे परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:
- बशर्त परिषद के सदस्य किसी बैठक फीस के हकदार नहीं होंगे।
- (5) शैक्षणिक बोर्ड को छात्रों से संबंधित योजना और विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का कार्य सौंपा जाएगा और कार्यान्वयन के लिए परिषद को उपयुक्त सिफारिशों की जाएंगी, लेकिन यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं है : —
- (i) आर्थिक और विनियामक परिदृश्य का अवलोकन
- (ii) पाठ्यक्रम और उसकी सामग्री का रूपांकन और समय-समय पर समीक्षा और उसमें संशोधन करना
- (iii) शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना;
- (iv) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन और अंतिम रूप देना;
- (v) परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली की विधि तैयार करना;
- (vi) परिषद को आवश्यक परिवर्तन की सिफारिश करना, जैसे और जब आवश्यक हो; तथा
- (vii) कोई अन्य संबंधित शैक्षणिक मामला।
- बशर्त कि शैक्षणिक बोर्ड के संदर्भ में परिषद द्वारा तय किए गए किसी अन्य क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है।
- (6) शैक्षणिक बोर्ड की बैठक कभी भी और आवश्यकता पड़ने पर होगी। हालांकि, कम से कम एक बैठक छात्रों के आधार पर आयोजित की जाएगी।
- (7) शैक्षणिक बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य कोरम का गठन करेंगे।
- (8) ऐसे सदस्य जिनका किसी भी मामले में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई वित्तीय हित है जिसे बोर्ड के विचारार्थ लाया जाता है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके, इस मामले में अपने हित की प्रकृति का खुलासा करना होगा और इस तरह के प्रकटीकरण को बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। सदस्य ऐसे मामले में बोर्ड के किसी भी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेंगे।
- (9) शैक्षणिक बोर्ड समय-समय पर परिषद द्वारा तय किए गए संस्थान के समग्र नीतिगत ढांचे और दृष्टि के अनुसार काम करेगा।
- (10) परिषद को शैक्षणिक बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों या उसके प्रदत्त प्रदर्शन में लिए गए किसी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति होगी।
- (11) परिषद लिखित में उन कारणों को दर्ज करेगी जहां वह शैक्षणिक बोर्ड की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है और इसका खुलासा संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में भी करें।
- (12) अधिनियम और विनियम के प्रावधानों के अधीन, शैक्षणिक बोर्ड के पास अपने किसी कार्य और कृत्य को किसी अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या परिषद के सदस्य या सचिव या मुख्य कार्यकारी या संस्थान का कोई अन्य अधिकारी जो निदेशक के पद से नीचे का न हो, जिसे वह आवश्यक और उचित समझें प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी।”
- (xviii) विनियमन 159 में उप-विनियमन (1) में, शब्द “रुपये बीस” और “रुपये दस” को क्रमशः शब्दों “रुपये दो सौ” और “रुपये एक सौ” से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (xix) विनियमन 160 में —
- (ए) उप-विनियमन (1) में, शब्दों “पंजीकृत पोस्ट”, शब्द, “या स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवाओं या अनुमति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या हाथ से सुपुर्दगी या ऐसे पते पर छोड़ दिया” के बाद अन्तर्निष्ठ किया जाएगा।

(बी) उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन (2) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(2) सूचना या दस्तावेजों को संस्थान या किसी अधिकारी को संस्थान या उस अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संस्थान के कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवाओं या अनुमत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित अपने मुख्यालय में या संस्थान के अन्य कार्यालयों में इसे छोड़ दिया जा सकता है।”

(xx) विनियमन 165 के बाद, निम्नलिखित नया विनियमन 165ए. बहुविषयक फर्म (फर्मों), को अर्न्तनिष्ठ किया जाएगा अर्थात्:

“165ए. बहुविषयक फर्म (फर्मों):—

व्यवसाय कर रहे एक सदस्य अन्य व्यावसायिक निकायों के सदस्य (ओं) के साथ बहुविषयक फर्म (फर्मों) का गठन कर सकता है, जैसा कि विनियमन 168 ए के तहत निर्धारित किया है और ऐसी बहु-विषयक फर्म (फर्मों) के कामकाज और विनियमन के लिए परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार है।”

(xxi) विनियमन 160 में, —

(ए) उप-विनियमन (1) में, शब्दों “व्यवसाय में कंपनी सचिवों” या “बहु-विषयक फर्म” शब्दों के बाद अर्न्तनिष्ठ किया जाएगा।”

(बी) उप-विनियमन (2) में, शब्दों के बाद, “व्यवसाय में कंपनी सचिवों” या “बहु-विषयक फर्म” शब्दों के बाद अर्न्तनिष्ठ किया जाएगा।”

(सी) उप-विनियमन (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन (2ए) अर्न्तनिष्ठ किया जाएगा अर्थात् : —

“(2ए) व्यवहार में कंपनी सचिव या प्रेक्टिस कर रहे कंपनी सचिवों की एक फर्म द्वारा या बहु-विषयक फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित व्यापार या फर्म के नाम की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इन्हे संस्थान के पास उपयुक्त प्रारूप में एक आवेदन करने की आवश्यकता है।”

(xxii) विनियमन 172 के लिए, निम्नलिखित विनियमन 172 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“172. शुल्क भुगतान का तरीका—

संस्थान को देय सभी शुल्क और अन्य देय राशि का भुगतान “दी इन्स्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया” के पक्ष में ऐसे भुगतान माध्यम के द्वारा किया जाएगा जिसका निर्धारण परिषद द्वारा किया जा सकता है।”

(xxiii) विनियमन 174 के लिए, निम्नलिखित विनियमन 174 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“174. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति: —

यदि इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो परिषद सामान्य या विशिष्ट संकल्प के द्वारा, ऐसा कुछ भी कर सकती है जो अधिनियम एवं विनियमनों के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाली कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।”

(xxiv) अनुसूची सी, अनुसूची सीसी, अनुसूची सीसीए, अनुसूची सीसीबी, अनुसूची डी, अनुसूची ई, अनुसूची जी और अनुसूची एच हटा दी जाएगी।

परिषद के आदेशानुसार

अशोक कुमार दीक्षित, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./173/19]

टिप्पणी : प्रमुख नियमों को अधिसूचना आईसीएसआई सं. 710/2 (1), दिनांक 16 सितंबर, 1982 वाया भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया :

- (i) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 30 मार्च, 1984;
- (ii) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (1), दिनांक 3 मई, 1984;
- (iii) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (1), दिनांक 30 दिसंबर 1985;
- (iv) अधिसूचना सं. आईसीएसआई /710/2/एम (1), दिनांक 9 सितंबर, 1986;
- (v) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (1), दिनांक 23 फरवरी, 1987;
- (vi) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (1), दिनांक 9 मार्च, 1987;
- (vii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1), दिनांक 22 अगस्त, 1988;

- (viii) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (1), दिनांक 23 अगस्त, 1988;
- (ix) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (18), दिनांक 20 अगस्त, 1993 और 24 नवंबर, 1993;
- (x) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (17), दिनांक 21 फरवरी, 1995;
- (xi) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (20), दिनांक 28, नवंबर, 1996;
- (xii) अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम (26) दिनांक 10 अगस्त, 2001;
- (xiii) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1, दिनांक 3 मई, 2006;
- (xiv) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1 दिनांक 26 जून, 2006
- (xv) अधिसूचना संख्या 710/1/(एम)/1, दिनांक 23 जुलाई, 2010;
- (xvi) अधिसूचना संख्या 710/1/(एम)/2, दिनांक 4 जून, 2012;
- (xvii) अधिसूचना संख्या 710/1/(एम)/1, दिनांक 1 अप्रैल, 2014 ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA)

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2019

No. 710/1(M)/1.—The following draft of certain regulations, further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982 which the Council of the Institute of Company Secretaries of India proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), and with the prior approval of the Central Government, is hereby published, as required by sub section (3) of section 39 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of the period of forty five days from the date on which copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same for consideration by the Council of the Institute within the period so specified above to the Secretary, the Institute of Company Secretaries of India, ICSI House, 22, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi 110 003.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Council.

DRAFT REGULATIONS

1. (1) These regulations may be called the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Company Secretaries Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the principal regulations),-
 - (i) in regulation 2, after clause (i), the following new clause (ia) shall be inserted, namely:-

“(ia) **‘misconduct’ in relation to a registered student or a candidate enrolled for any examination conducted by the Institute shall mean and include behaviour in a disorderly manner in relation to the Institute or in or near an examination premises or center, breach of any provision of the Act, rules, regulations, notification, condition, guideline, direction, advisory, circular of the Institute, adoption of malpractices with regard to postal or oral tuition or resorting to or attempting to resort to unfair means in connection with writing of any examination conducted by the Institute, tampering of Institute’s records or database, writing or sharing information about the Institute on public forums, social networking or any print or electronic media which is defamatory in its opinion or any other act which may harm,**

damage, hamper or challenge the secrecy, decorum and sanctity of examination or training or any student policy of the Institute;

And, in relation to a candidate undergoing practical training or any other training by whatever name called, as determined by the Council, behaviour in a disorderly manner in relation to the Institute or in or near the place where undergoing training, breach of any provision of the Act, rules, regulations, notification, condition, guideline, direction, advisory, circular of the Institute, tampering of Institute's records or database, writing or sharing information about the Institute on public forums, social networking or any print or electronic media which is defamatory in its opinion, malpractice with regard to training or resorting to or attempting to resort to unfair means in connection with the undergoing of training or seeking exemption from undergoing the training or for breach of any policies, rules and regulations for the organisation in which he is undergoing training;"

(ii) for regulation 3, the following regulation 3 shall be substituted, namely:-

"3. Register of members.-

(1) The Institute shall maintain a Register of members in the proforma referred to in Schedule 'A' manually or electronically or in any other mode as may be determined by the Council.

(2) The Register of members shall contain name, membership number, professional address, residential address, date of birth, date of becoming a member, valid email id, telephone or mobile number and other particulars as may be determined by the Council from time to time.

(3) The member shall communicate to the Institute any change of his details entered in the Register, within thirty days of such change."

(iii) in regulation 4,-

(a) in sub-regulation (1), clause (a), (b) and (c) shall be deleted.

(b) in sub-regulation (1), for clause (d), the following clause (d) shall be substituted, namely:-

"(d) has passed examinations conducted by the dissolved company and has completed practical training either as prescribed in the earlier regulations or as prescribed in these regulations; or"

(c) in sub-regulation (1), in clause (e) after the words, "training as", the words, "prescribed in these regulations; or" shall be inserted.

(d) in sub-regulation (1), for clause (f), the following clause (f) shall be substituted, namely:-

"(f) has passed such other examination and completed such other training outside India as is recognized by the Central Government or the Council as being equivalent to the examination and training as prescribed in these regulations; or"

(e) in sub-regulation (1), in clause (h), words, "clause (p) of Section 2 of the Foreign Exchange Regulations Act, 1973 (46 of 1973)" shall be substituted for the words, "clause (w) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999)".

(f) for sub-regulation (2), the following sub-regulation (2) shall be substituted, namely:-

"(2) Fellow members:

(i) No person shall be entitled to have his name entered in the Register as a Fellow unless he,-

(a) was a Fellow including Honorary Fellow of the dissolved company immediately before the commencement of the Act; or

- (b) was admitted as a Fellow under the earlier regulations; or
- (c) is an Associate and has been in continuous practice in India as a Company Secretary for at least five years; or
- (d) is an Associate for a continuous period of not less than five years and possesses *such qualification or practical experience as may be determined by the Council;*

(ii) *No Associate member shall be admitted as a fellow member of the Institute, if-*

- (a) *he has been found guilty of any professional or other misconduct and his name has been removed from the Register or he has been imposed fine referred in sub-section (3) of sections 21A or sub-section (3) of section 21B at any time during the preceding five years on the date of application;*
- (b) *he has not completed such minimum numbers of Professional Development Credit Hours as may be determined by the Council;*

Provided that in the case of any person belonging to any of the classes mentioned in sub-regulations (1) or (2) who is not permanently residing in India, the Council may, by resolution, impose such further qualifications and conditions as it may deem necessary or expedient:

- (iv) in regulation 5, in sub-regulation (1), the words, “**Every person who desires**” shall be substituted for the words, “*Any person who intends*”.
- (v) in regulation 6,-
 - (a) in sub-regulation (1), words, “**Every person**” shall be substituted for the words, “**Any person**”.
 - (b) in sub-regulation (2), the word, “*by notification*” shall be inserted after the words, “as may be determined”.
 - (c) in sub-regulation (4), words, *along with such certificate of living and Know Your Member (KYM) declaration in appropriate Form*” shall be inserted after the words, “annual membership fee”.
 - (d) third proviso to sub-regulation (4) shall be deleted.
 - (e) in forth proviso to sub-regulation (4), words, “*age of seventy years or above and is not in any gainful employment or in practice*” shall be substituted for the words, “*age of seventy years or above.*”
- (vi) in regulation 7, words, “*after deducting administrative charges as may be determined by the Institute*” shall be inserted after the words, “*fees paid by him.*”
- (vii) for regulation 8, the following regulations 8 shall be substituted, namely:-

“8. Non-payment of dues.-

(1) Annual fee: Any person who has not paid his annual membership fee on or before thirtieth June of that year, *shall be allowed to pay the same on or before thirty first day of August of that year with an additional fee as may be determined by the Council:*

Provided that any person who has not paid his annual membership fee along with additional fee on or before thirty first day of August of that year, his name shall be removed from the Register from the first day of September of that year without any further notice.

(2) Other dues: Any person who has not paid *the fine, penalty* or any other dues payable to the Institute as a member within *ninety days* from the date of *notice of such outstanding amount, his name shall be removed from the Register on the expiry of the said period of ninety days.*”

(viii) for regulation 9, the following regulations 9 shall be substituted, namely:-

“9. Certificate of membership.-

(1) *Upon* acceptance of application for membership by the Council, ***name, membership number, professional address, residential address, date of birth, date of becoming a member, valid email id, telephone, mobile number and other particulars as may be determined by the Council*** shall be entered in the Register and a Certificate of Membership in the appropriate form shall be issued to him by the Council.

(2) A member whose name is removed from the Register under any of the provisions of the Act or these regulations shall surrender forthwith the Certificate of Membership then held by him to the Secretary ***and shall not use or display or continue to use or display the same certificate or membership number in any manner.***”

(ix) for regulation 10, the following regulations 10 shall be substituted, namely:-

“10. Certificate of practice.-

(1) A member, ***after successful completion of Orientation Programme in such manner and mode as may be determined by the Council***, may apply to the *Institute* in the appropriate form for issue of a certificate of practice entitling him to practice as a Company Secretary anywhere in India.

(2) *Upon* acceptance of the application by the *Institute received under sub-regulation (1)*, the certificate shall be issued in the appropriate form which shall be valid until it is cancelled.

(3) In the case of renewal of the certificate of practice, ***after acceptance of the application by the Institute***, the Secretary shall issue a letter extending the validity period of the certificate of practice for that year in the appropriate form.

(4) A member who ceases to be in practice shall not later than thirty days from the date he ceases to be in practice intimate the fact to the Institute in writing.

(5) A member who ceases to be in practice or whose certificate of practice has been cancelled under regulation 11 shall surrender forthwith the certificate then held by him to the Secretary ***and shall not use or display or continue to use or display the same certificate or membership number in any manner.***”

(x) for regulation 11, the following regulations 11 shall be substituted, namely:-

“11. Cancellation of certificate of practice.-

(1) A certificate of practice issued under sub-section (1) of section 6 shall be liable for cancellation, if –

(a) the name of the holder of the certificate is removed from the Register under sub-sections (1) and (2) of section 20; or

(b) the Council is satisfied, after giving an opportunity of being heard to the person concerned, that such certificate was issued on the basis of incorrect, misleading or false information provided by the applicant, or by mistake or inadvertence on the part of the Institute ; or

(c) a member who ceased to practice; or

(d) a member who has surrendered his Certificate of Practice; or

(e) a member who has not paid annual fee for ***renewal of*** certificate of practice ***along with additional fee till 31st day of August of the relevant year; or***

(f) a member who has not complied with the guidelines of the Council.

(g) he ceases to be an Indian National;

(2) The cancellation of a certificate shall be effective, –

(a) in a case falling under clause (a) of sub-regulation (1), on the date on which and

during the period for which the name of the holder of the certificate was removed from the Register of members;

(b) in a case falling under clause (e) of sub-regulation (1), from the 15th day following the date of issue of notice by the *Institute or after the 1st day of September* whichever is earlier; and

(c) in any other case, from such date and for such period, as may be determined by the Council;

(3) When a certificate is cancelled, the date from which and the period for which the certificate shall stand cancelled shall be communicated in writing by registered post *or speed post or courier or by any electronic mode to the member concerned at his professional address and email id available in the Register* and may also be published the same in the Journal or *hosted on the website of the Institute*.

(4) Where a certificate of practice is cancelled, the holder of such certificate shall return the certificate to the Secretary within fifteen days from the date of receipt of notice of such cancellation *and shall not use or display or continue to use or display the same certificate or membership number in any manner*.

(xi) for regulation 12, the following regulation 12 shall be substituted, namely:-

“12. Notification of removal of membership.-

The removal of the name of any member from the Register shall be communicated in writing to him by registered post *or speed post or courier or by any electronic mode at the professional address and email id available in the Register* and may also be published the same in Journal *or hosted on the website of the Institute*.”

(xii) in regulation 13,-

(a) in sub-regulation (2), word, “**and**” shall be substituted with the words, “**along with**”.

(b) in second proviso to sub-regulation (2), words, “**or the High Court**” shall be substituted with the words, “**or any Tribunal or the Court**”.

(c) for sub-regulation (3), the following sub-regulation (3) shall be substituted, namely:-

“(3) The restoration of a member’s name to the register shall be communicated in writing to him *by registered post or speed post or courier or by any electronic mode* and may also be published in the journal *or hosted on the website of the Institute*.”

(xiii) in regulation 14, for sub-regulation (2), the following sub-regulation 2 shall be substituted, namely:-

“(2) On acceptance of the application for restoration, the restoration of certificate of practice shall be communicated in writing to the person concerned *by registered post or speed post or courier or by any electronic mode* and may also be published in the Journal *or hosted on the website of the Institute*.”

(xiv) for “**Chapter VI. Registered Students**”, the following “**Chapter VI. Registration of Students**” shall be substituted, namely:-

“Chapter IV

Registration of Students

19A. Programmes of Company Secretaryship Course.-

The Company Secretaryship Course shall have two programmes, namely:-

(i) *Executive Programme; and*

(ii) *Professional Programme;*

Provided that the Institute may from time to time review the number of stages mentioned hereinabove and modify the same in such a manner as determined by the Council.

20. Conditions for registration to the **Executive Programme**.-

(1) In order to become eligible for registration *as a student of Executive Programme, an applicant, who is an Indian National*, shall apply in the appropriate form, along with the student registration fee, annual subscription, if applicable, *education fee* and other fees, as may be determined by the Council and produce **proof** to the satisfaction of the Council that he,-

(i) *has passed Senior Secondary Examinations (10+2 system) conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognized by the Central Government or State Government or equivalent thereto for the purpose of admission to Bachelor's degree course and has complied with such requirements as may be determined by the Council; and*

(ii) *has passed CS Executive Entrance Test (CSEET) conducted by the Institute in such manner, mode and eligibility as may be determined by the Council or any other test or examination recognised or equivalent thereto or exempted therefrom by the Council.*

(2) *Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above, the Council may permit a person of foreign national to seek registration in the Company Secretaryship Course.*

(3) A person applying for registration shall obtain an identity card and also give an undertaking that he shall, as a registered student, conduct himself in a manner befitting the ideals and standards of the profession of Company Secretaries and shall abide by **the guidelines and orders** of the Council.

(4) **Every person whose application for registration is not accepted by the Secretary shall be entitled to a refund of the fee paid by him, subject to deduction of such administrative charges as the Council may determine.**

21. **Registration of student and time limit for completing examinations**.-

(1) A person applying to become a registered student shall be registered in accordance with the provisions of these regulations for a period of five years from the month in which his application, complete in all respects, is accepted by the Secretary for registration.

(2) A registered student shall be required to complete the Executive Programme examination and Professional Programme examination within the registration period *referred in sub-regulation (1)*.

(3) The registration of a student shall stand terminated on the expiry of said registration period of five years. *He shall be required to keep the validity of registration renewed from time to time in terms of Regulation 22 and 22A on payment of such fee as may be determined by the Council in order to complete the training or any other requirements or for claiming exemption or for completing any formalities required to be eligible to become a member of the Institute.*

22. **Registration de novo and re-registration**.-

A *student* whose registration has been terminated under sub-regulation (3) of regulation 21 may within *five years of termination of his earlier registration, apply with education fee, service charge and other fee, as determined by the Council from time to time as referred to in regulation 24* in the appropriate form to become a registered student *de novo*, and on his application being accepted by the Secretary, he shall be deemed for all purposes to have been admitted as a fresh registered student except that he shall be entitled to claim exemption, without payment of any exemption fee, from individual subject(s) or group(s) or module(s) of *the Executive Programme Examination and Professional Programme Examination*, previously

secured by him under his former registration with the Institute, as the case may be:

Provided that where a student applies after the expiry of five years period from the date of lapse of earlier registration but has passed Intermediate Course or Executive Programme under any syllabus, he may seek re-registration to Professional Programme on the terms and conditions as may be determined by the Council.

22A. Continuation of registration.-

A student who has passed Professional Programme examination and whose registration has been terminated under sub-regulation (3) of regulation 21 shall apply to the Institute for continuation of his registration as a student to complete the training or any other training related requirements or exemption thereto on payment of such fee as may be determined by the Council, to become entitled to be enrolled as member of the Institute.

23. Status of registered student.-

The registration of a person as a student shall not confer on such person any rights of a member nor entitle him to claim any form of membership of the Institute or its Regional Council or Chapter, as the case may be:

Provided that such student may be permitted to borrow books from the library of the Institute, Regional Council or Chapter or participate in the activities of the Institute, its Regional Council or Chapter, as the case may be subject to such conditions as may be determined by the Council, Regional Council or Chapter, as the case may be.

25. Fees by registered student.-

(1) A person registered as a student shall be required to pay such fee or other subscription as may be determined by the Council which shall be due and payable to the Institute.

(2) All other fees payable by an applicant for any examination or for registration as a student or by a registered student for particular services to be rendered to him shall be such as may be determined by the Council from time to time.

26. Examination requirements.-

(1) Registered students shall be required to comply with such conditions relating to examinations as may be determined by the Council.

(2) The Examination Committee or a person authorized by it in this behalf may, for reasons to be recorded in writing,-

(i) refuse to admit a candidate to an examination; or

(ii) admit him to an examination subject to such conditions as it or he may consider to be reasonable in the circumstances of a case; or

(iii) expel him from an examination, after he has been admitted to it in the usual course.

(iv) take any other action or adopt such measures or means as may be deemed fit to maintain the secrecy, decorum and sanctity of the examination.

(3) Notwithstanding the fact that a candidate has obtained the minimum number of marks for passing an examination, the Examination Committee may, for reasons to be recorded in writing, withhold **or cancel** his result.

(4) Any order passed by the person authorized by the Examination Committee may be reviewed by it and any order passed by the Examination Committee may be reviewed by the Council.

27. Suspension and cancellation of examination result or registration.-

In the event of any misconduct by a registered student or a candidate enrolled for any examination conducted by the Institute, the Council or any Committee formed by the council in this regard, may *suo-moto* or on receipt of a complaint, if it is satisfied that, the misconduct is proved after such investigation as it may deem necessary and after giving such student or candidate an opportunity of being heard, suspend or debar *him* from appearing in any one or more examinations, cancel his examination result, *or registration as a student, or* debar him from future registration as a student, *or take any such action or adopt such measures or means as may be deemed fit in this regard.*

28. Teaching and training administration.-

(1) The Council may *from time to time determine and* arrange for imparting *teaching or training or both for such period through* postal, *class room, electronic mode or any other mode.*

(2) *The Institute* for this purpose may establish and operate *teaching and training* administration by whatever name called, make guidelines and charge such fee *as may be determined by the Council.*

(3) *The Institute may determine the criteria for selection and registration of a trainer or an organization or an entity for imparting training to the students.*

(4) *The teaching and training* administration shall function subject to the supervision, control and direction of the Council.”

(xv) for “**Chapter IVA. Corporate Compliance Executive Certificate-ICSI**”, the following, “**Chapter IVA. ICSI Secretarial Executive Certificate**” shall be substituted, namely:-

“Chapter IVA**ICSI Secretarial Executive Certificate****28A. ICSI Secretarial Executive Certificate.-**

(1) *Institute may award “ICSI Secretarial Executive Certificate” to its student, who has:-*

- (i) *passed the Executive Programme;*
- (ii) *completed Executive Development Programme and Practical Training; and*
- (iii) *applied in such manner and mode and together with such fee as may be determined by the Council;*

(2) *Such Secretarial Executive* may continue to pursue the regular Company Secretaryship course.

(3) *Such Secretarial Executive shall secure* such number of Professional *Development* Credit Hours (PDCH) as the Council may determine, for renewal of *ICSI Secretarial Executive Certificate on annual basis.*

(4) *The grant of ICSI Secretarial Executive Certificate shall neither confer on such Secretarial Executive (ICSI) any right of a member, nor entitle him to claim membership of the Institute. However, the Council may grant such recognition to the Secretarial Executive (ICSI) as may be determined from time to time.*

(6) *Notwithstanding anything contained herein above, the Institute may award ICSI Secretarial Executive Certificate to the person who is holding Corporate Compliance Executive Certificate on fulfilling such conditions as may be determined by the Council.*

28B. Status of holder of Corporate Compliance Executive Certificate.-

The holder of Corporate Compliance Executive Certificate shall be governed under the erstwhile regulation.”

(xvi) for “Chapter VI. Examinations”, the following “Chapter VI. Examinations” shall be substituted, namely:-

“Chapter VI

Examinations

31. Examinations of Company Secretaryship Course.-

(1) *The Company Secretaryship Examination shall have two stages, namely:-*

- (i) **Executive Programme Examination; and**
- (ii) **Professional Programme Examination.**

Provided that the Institute may from time to time review the number of stages mentioned hereinabove and modify the same in such a manner as determined by the Council.

(2) Conduct of examinations and application for examination *shall be in the following manner -*

- (i) examinations shall be conducted in such manner and at such times and places within India or abroad as the Council may determine, provided that the examination shall be held at least once a year.
- (ii) *information relating to the dates and places of examinations and other particulars may be hosted on the website of the Institute or published in the Journal or in the Student Company Secretary Bulletin.*
- (iii) application for admission to an examination or for exemption from passing any examination shall be made *by the candidate to the Secretary in appropriate form, manner, mode and with such fees as may be determined by the Council from time to time.*

32. Refund of examination fees.-

(1) Examination Fees once paid by the student shall not be refunded.

(2) Where, a candidate applies to the *Institute prior to at least thirty days* from the last date of examination for considering *refund of examination fee* on the ground that he was prevented from attending the examination on account of circumstances beyond his control and furnishes requisite documentary proof and information to the satisfaction of the *Institute, the Institute may allow fifty per cent. of the examination fees paid by him to be refunded.*

33. Change of examination center, medium and module.-

Application for change of examination centre, *medium or module* shall not ordinarily be entertained *but in special circumstances where the application for that purpose is received by the Institute at least thirty days before the date of commencement of the examinations, the Institute may allow the change on payment of such fee as may be determined by the Council.*

34. Travel concession.-

The Institute may on application by the student provide a confirmation about the bonafide of such student to facilitate him to secure any travel concession for appearing the examination of Institute or for any study tour or research tour of the Institute requiring him to travel from his place of residence to other place in India.

35. Enrolment for the Executive Programme Examination.-

In order to become eligible to appear in Executive Programme Examination, the intending candidate shall be required to register himself for Executive Programme at least six calendar months prior to the month in which the examination is to commence, i.e., if any examination commences in December, the candidate registered upto and including month of May of that calendar year in such manner and mode alongwith the such examination fee, as may be determined by the Council:

Provided that the Institute may conduct pre-exam test before the Executive Programme Examination in such manner and mode as may be determined by the Council for the student who opts to appear in pre-exam test.

Provided further that a candidate may be allowed to appear in one or more groups or modules of an Executive Programme Examination as may be determined by the Council, if he is registered as a student at least for a period of four calendar months prior to the month in which the examination is to commence, i.e., if the examination commences in December, a candidate registered upto and including July of that year shall be allowed.

36. Course contents of Executive Programme Examination.-

(1) *A student registered for the Executive Programme Examination shall be examined in such papers comprised in such number of groups or modules as may be determined by the Council which shall be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.*

(2) *The syllabus for the Executive Programme Examination shall be as determined by the Council which shall be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.*

(3) *A candidate shall be declared as passed in all groups or modules of the Executive Programme Examination, if:*

- (i) *taken simultaneously, he secures at one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper in which he is required to appear and fifty per cent. marks in aggregate of all papers put together; or*
- (ii) *he has passed or is exempted from individual paper or group or module and secures in one sitting a minimum of forty per cent. marks in each remaining paper(s) and fifty per cent. marks in aggregate of all such remaining paper(s) put together in which he is required to appear on switchover from previous syllabus to new syllabus as per the scheme approved by the Council;*

Provided that, if any candidate has passed any module or group under new syllabus on switchover, sub-regulation (ii) above shall not be applicable to him.

(4) *A candidate shall be declared as passed in a group or module, if he secures at one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper and fifty per cent. marks in the aggregate of all the papers of that group or module. The candidate shall be declared to have passed the Executive Programme Examination on passing all the groups or modules:*

Provided that a candidate who has appeared in the papers of a group or module for which he was required to enroll and has secured sixty per cent. or more marks in any paper and a minimum of twenty five per cent. marks in each of the remaining paper(s) of the module but has failed in the module, shall be exempted from that or those papers in which he secured sixty per cent. or more marks, in any subsequent examination:

Provided further that if a candidate who has appeared in all papers of the module or which he was enrolled without obtaining exemption in any paper of the module and has failed in one paper comprised in the module, but secured minimum of sixty per cent. of the total marks of the remaining papers of the module shall be declared as passed in that module if he reappears in the paper in which he had failed and secures atleast fifty per cent. marks in any subsequent examination.

Provided also that the exemption shall deemed to be cancelled if the candidate appears in the examination of such exempted papers despite an endorsement to the effect in the Admission Certificate or Admit Card for the examinations or on submission of an application for cancellation by the last date of enrolment for the examination in which he intends to appear.

Explanation 1 - For the purposes of the first proviso, the marks obtained by a candidate in the paper (s) in which he had obtained exemption on the basis of having secured sixty per cent. or

more marks shall not be taken into account for computing his result for the remaining *papers of that module* for any of the subsequent examination.

Explanation 2 - *For the purposes of the second proviso, the exemptions shall only be applicable for modules with three or more papers.*

Explanation 3 - *For the purposes of the third proviso, if exemption is cancelled on the basis of either appearance or cancellation request, there is a likelihood that exemptions granted in other related papers as per second proviso may get nullified in such case the actual marks secured on reappearance or deemed absence in the examinations shall be taken into account as the case may be for computing his result.*

(5) A candidate shall be declared as passed with distinction in the Executive Programme Examination if he obtains at one sitting a minimum of sixty per cent. marks in each *paper* and seventy per cent. or above marks in the aggregate in both the groups *or module*, without obtaining any exemption.

37. Exemption from Papers of Executive Programme Examinations.-

(1) The Council may from time to time determine the individual paper or group or module of the Executive Programme Examination from which exemption may be granted to students who have passed such examination of any university or on reciprocal basis of such professional institutes *or* body in India or abroad, as may be recognized by the Council in this behalf and on payment of such exemption fees.

(2) The Council *may from time to time determine* the corresponding individual *paper or group or module of the* Executive Programme Examination from which a candidate who is admitted as a de novo registered student under regulation 22 shall be exempted; on the basis of exemption from individual *paper or group or module* previously secured by him under his *previous* registration and on payment of such exemption fees.

(3) *The Council may from time to time determine the individual paper or group or module of the Executive Programme Examination* from which a candidate shall be exempted on the basis of exemption from individual *paper or group or module previously secured by him under the syllabus notified by the Council and on payment of such exemption fees.*

38. Admission to the Professional Programme.-

(1) *In order to become eligible for admission to Professional Programme, a registered student shall apply in the appropriate form, along with the student registration fee, annual subscription, education fee and other fees, as may be determined by the Council and produce proof to the satisfaction of the Council that he has passed the Executive Programme of the Institute or has been exempted therefrom;*

(2) *A registered student applying for admission shall obtain an identity card and also give an undertaking that he shall, as a registered student, conduct himself in a manner befitting the ideals and standards of the profession of Company Secretaries and shall abide by guidelines and orders of the Council.*

(3) *Every registered student whose application for admission is not accepted by the Secretary shall be entitled to a refund of the fee paid by him, subject to deduction of such administrative charges as the Council may determine.*

39. Enrolment for the Professional Programme Examination.-

In order to become eligible for enrolment to Professional Programme Examination, such student shall be required to:-

(1) *register himself for Professional Programme at least six calendar months prior to the month in which the examination is to commence, i.e., for examination commences in December, the student registered upto and including month of May of that calendar year shall be allowed in such manner and mode alongwith such examination fee, as may be determined by the Council:*

Provided that the Institute may conduct pre-exam test before the Executive Programme Examination in such manner and mode as may be determined by the Council for the student who opts to appear in pre-exam test:

Provided further that a student may be allowed to appear in one or more groups or modules of an examination as may be determined by the Council, if he is registered as a student at least for a period of four calendar months prior to the month in which the examination is to commence i.e., if the examination commences in December, a candidate registered upto and including July of that year shall be allowed.

(2) *complete the Executive Development Programme (EDP) as provided in regulation 46BB(1)(a) or exempted therefrom.*

(3) *complete the Practical Training as provided in regulation 46BB (1)(b); or exempted therefrom;*

40. Course contents of Professional Programme Examination.-

(1) *A student registered for the Professional Programme Examination shall be examined in such papers comprised in such number of groups or modules as may be determined by the Council, which shall be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.*

(2) *The syllabus for the Professional Programme Examination shall be such as may be determined by the Council and which shall be published in the Journal or hosted on the website of the Institute.*

(3) *A candidate shall be declared to have passed in all the groups or modules of the Professional Programme Examination, if -*

- (i) *taken simultaneously, he secures at one sitting, a minimum of forty per cent. marks in each paper in which he is required to appear and fifty per cent. marks in the aggregate of all papers put together; or*
- (ii) *he has passed or is exempted from individual paper or group or module and secures in one sitting a minimum of forty per cent marks in each remaining paper(s) and fifty per cent. marks in aggregate of all such remaining paper(s) put together in which he is required to appear on switchover from previous syllabus to new syllabus as per the scheme approved by the Council:*

Provided that, if any candidate has passed any module or group under new syllabus on switchover, sub-regulation (ii) above shall not be applicable to him.

(4) *A candidate shall be declared as passed in a group or module if he secures at one sitting a minimum of forty per cent marks in each paper and fifty per cent marks in the aggregate of all the papers of that group or module. The candidate shall be declared to have passed the Professional Programme Examination on passing all the groups or modules:*

Provided that a candidate who has appeared in the paper of a group or module for which he was required to enroll and has secured sixty per cent. or more marks in any paper and a minimum of twenty five per cent marks in each of the remaining paper(s) of the module but has failed in the module, shall be exempted from that or those papers in which he secured sixty per cent. or more marks, in any subsequent examination:

Provided further that if a candidate who has appeared in all the papers of the module for which he was enrolled without obtaining exemption in any paper of the module and has failed in one paper comprised in the module, but secured minimum of sixty per cent. of the total marks of the remaining papers of the module shall be declared as passed in that module if he reappears in the paper in which he had failed and secures atleast fifty per cent. marks in any subsequent examination:

Provided also that the exemption shall deemed to be cancelled if the candidate appears in the examination of such exempted papers despite an endorsement to the effect in the

Admission Certificate or Admit Card for the examinations or on submission of an application for cancellation by the last date of enrolment for the examination in which he intends to appear.

Explanation 1 - For the purpose of the first proviso, the marks obtained by a candidate in the *paper(s)* in which he had obtained exemption on the basis of having secured sixty per cent or more marks shall not be taken into account for computing his result for the remaining *papers of that module* for any of the subsequent examination.

Explanation 2 - *For the purpose of the second proviso, the exemptions shall only be applicable for modules with three or more papers.*

Explanation 3 - *For the purpose of the third proviso, if exemption is cancelled on the basis of either appearance or cancellation request, there is a likelihood that exemptions granted in other related papers as per second proviso may get nullified in which case the actual marks secured on reappearance or deemed absence in the examinations shall be taken into account as the case may be for computing his result.*

(5) *A candidate shall be declared to have passed with distinction in the Professional Programme Examination if he obtains at one sitting a minimum of sixty per cent. marks in each paper and seventy per cent. marks or above in the aggregate in all groups or modules, without obtaining any exemption.*

41. Exemption from papers of Professional Programme Examination.-

(1) The Council *may from time to time determine the individual paper of the Professional Programme Examination* from which exemption may be granted to a student who has passed such examination of any University or on reciprocal basis of such professional institute *or* body in India or abroad as may be recognized by the Council on reciprocal basis and on payment of such exemption fees.

(2) The Council *may from time to time determine* the corresponding individual *paper or group or module of the Professional Programme Examination* from which a candidate who is admitted as a de novo registered student or re-registered student under regulation 23 shall be exempted; on the basis of exemption from individual *paper or group or module* previously secured by him under his previous registration and on payment of such exemption fees.

(3) The Council **may from time to time determine** the individual **paper or group or module of the Professional Programme Examination** from which a candidate shall be exempted on the basis of exemption from individual paper previously secured by him under the syllabus *as may be notified by the Council and on payment of such exemption fees.*

42. Examination results.-

(1) Every candidate shall be individually informed of the marks obtained in each paper and the result thereof but under no circumstances the marks obtained in individual questions or sections of a paper shall be furnished. *The result-cum-marks statement issued by the Institute in the appropriate format shall only be conclusive proof in case of any dispute.*

(2) *Candidate may within twenty one days of the declaration of results of his examination apply to the Institute with such fee as may be determined by the Council for verification of marks as to whether answers to each question in any particular paper at any examination have been examined and marked or not:*

Provided that verification of marks shall not tantamount to revaluation of the answer books and the candidate shall not be entitled to seek revaluation of answer book (s) under any circumstances.

(3) Every candidate passing the Professional **Programme Examination** shall be granted a certificate to that effect *in the appropriate form or in electronic mode* by the Secretary *on payment of such fees as may be determined by the Council.*

(4) *In case it is found that the result of an examination has been affected by an error or any other instance of that nature, the Examination Committee shall have power to*

correct such result in such manner as it might have been in its accurate position and to make such declaration as it may consider necessary in that behalf.

43. Revival of exemption in an examination.-

If a candidate applies for and is allowed cancellation of exemption in any *paper* obtained by him earlier or of result of any group *or module* of an examination passed by him earlier under any of the regulations, he shall not be eligible for revival of such exemption or the benefit of having passed such group *or modules*, as the case may be, in any subsequent examination.”

(xvii) in “Chapter VI Examination”, regulations 44, 44A, 44AA, 44B, 45, 46 and 46A shall be omitted.

(xviii) after “Chapter VIA. Practical Experience and Training Requirements”, the following new “Chapter VIB. Practical Experience and Training Requirements” shall be inserted, namely:-

“Chapter VIB

Practical Experience and Training Requirements

46BA. Applicability of Chapter VIB.-

(1) *Notwithstanding a student who is undergoing training under the Chapter VIA or Chapter VIII on the date of commencement of this Chapter shall be allowed to continue and complete the training in accordance with the provisions of those regulations.*

(2) *Where any student has not commenced his training on the date of commencement of this Chapter, then provisions of this Chapter shall be applicable to him from such date as may be determined by the Council irrespective of the date of his registration to Executive Programme or Professional Programme.*

46BB. Practical experience and training requirement.-

(1) *A candidate shall complete the following training in such manner and mode as may be determined by the Council:*

- (a) *Executive Development Programme (EDP) for one month duration after passing of Executive Programme examination;*
- (b) *Practical training for twenty one months after completion of Executive Development Programme (EDP) on whole time basis during normal working hours -*
 - (i) *in a company having a company secretary in whole time employment or such companies fulfilling the criteria as may be determined by the Council; or*
 - (ii) *under a Company Secretary in wholetime practice fulfilling the criteria as may be determined by the Council; or*
 - (iii) *in any other body corporate or institution or organization or entities fulfilling the criteria as may be determined by the Council;*
- (c) *Corporate Leadership Development Programme (CLDP) for not less than thirty days but not exceeding sixty days as may be decided by the Council after passing the Professional Examination.*

46BC. Exemption from Practical training and EDP.-

Any student who claims to have acquired practical knowledge and skills equivalent to EDP and Practical training stated in regulation 46BB, may apply for exemption from undergoing EDP and practical training in accordance with the criteria determined by the Council. The council may after considering the application may grant full or partial exemption or conditional exemption or may reject the application.

46BD. Proof of practical training.-

A candidate, who has undergone the requisite practical training or has been exempted there from in accordance with these regulations, shall be required to produce necessary

documentary proof to the satisfaction of the Council along with his application in the appropriate form for Associate Membership.

46BE. Disciplinary action for misconduct during training including EDP and CLDP.-

In the event of any misconduct or violation of any code of conduct or any regulation by a candidate undergoing practical training or EDP or CLDP, the Council may suo-moto or on receipt of a complaint, if it is satisfied about the existence of misconduct or violation after such investigation as it may deem necessary and after affording an opportunity of being heard, reprimand the candidate or cancel or suspend his registration as a student or suspend or debar him from appearing in any one or more examinations of the Institute or direct that any period of training already undergone shall not be reckoned for the purpose of regulation 46BA or declare such candidate as unfit to be admitted to the Associate Membership of the Institute.”

- (xix) for “Chapter VIIA. Post Qualifying Courses and Examinations”, the following “Chapter VIIA. Specialized and Certification Courses and Examination” shall be substituted, namely:-

“Chapter VIIA

Specialized and Certification Courses and Examinations

55B. Specialized and Advanced Courses and Examinations.-

The Council may conduct such specialized and advanced courses as it may consider useful for the professional development of students and members and impart or arrange to impart practical or theoretical training and hold examination in such manner for subjects of such specialized courses and may award certificates or diplomas in accordance with the provisions of these regulations.

55C. Award of Diploma and Certificate for Specialized Course Examination.-

A candidate successfully completing the specialized course shall be awarded a Diploma or Certificate as may be permitted to that effect in the appropriate form by the Institute and he shall be entitled to use such description as may be determined by the Council for respective course, to indicate that he has been awarded Diploma or Certificate.

55D. Refresher Course.-

The Institute shall conduct refresher courses and examination for the members in such manner, mode and after such interval as may be determined by the Council:

Provided that the Institute may grant exemption from undergoing refresher course to the member who fulfil such criteria as may be laid down by the Council. The member intending exemption shall make request to the Institute in appropriate form, manner, mode and with such fees as may be determined by the Council from time to time

- (xv) regulations 55E to 55S shall be deleted.
- (xvi) in regulation 100, in clause (e), words, “**clause (1)**” shall be substituted for the words, “**clause (h)**”.
- (xvii) after regulation 105, the following new regulation **105A. Constitution of Boards** and regulation **105B. Academic Board** shall be inserted, namely:-

“105A. Constitution of Boards.-

(1) *The Council may constitute Secretarial Standards Board, Auditing Standards Board and such other Boards as it may deem necessary for the purpose of carrying out the functions of the Institute.*

(2) *Boards constituted under sub-regulation (1) shall function under the supervision, control and direction of the Council.*

(3) *A member who has any pecuniary interest, direct or indirect in any matter that is brought up for consideration of the Board shall as soon as possible disclose the nature of*

his interest in such matter and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Board. The member shall not take any part in any deliberation or decision of the Board on such matter.

For the purpose of the above, “pecuniary interest” means an interest that a person has in a matter because of a reasonable likelihood or expectation of appreciable financial gain.

(4) *Subject to the provisions of the Act and Regulations, the Boards shall have power to delegate by resolutions passed, any of its duties and functions to the President or Vice-President or Council Member or Secretary or Chief Executive or any other Officer of the Institute not below the rank of the Director as may be deemed necessary and proper.*

(5) *Except provided specifically, the provisions in respect of meetings of the Council and its Committees, notice, adjournment, rescheduling, quorum, consideration of resolution and minutes shall be mutatis mutandis applicable to the meetings of the Boards.*

105B. Academic Board.-

(1) *The Council shall constitute an Academic Board consisting of the following members, namely.-*

- (a) *A chairperson who shall be a person of eminence and who holds or has held the office of Chancellor, Vice-Chancellor or professor in accountancy, finance, law or business management or similar discipline in any University or deemed University or Management Institute of National or International repute;*
- (b) *Two persons who hold or have held the office of Vice-Chancellor or professor in accountancy, finance, law or business management or similar discipline in any University or deemed University;*
- (c) *One representative of the Ministry of Corporate Affairs who holds the Grade of Joint Secretary or above;*
- (d) *One person to represent Chambers of Commerce and Industry as nominated by the Chamber(s);*
- (e) *Two eminent members of the Institute, out of which one shall be practising member and another from employment;*
- (f) *One eminent person from the legal profession;*
- (g) *One eminent person from the field of Information Technology;*
- (h) *One eminent person from the field of Human Resources;*
- (i) *Chairman of TEFC -ex-officio;*
- (j) *Chairman of the Syllabus Review Committee -ex-officio;*
- (k) *Chairman of the ICSI Vision Group, if any, -ex-officio;*
- (l) *A member of University Grant Commission;*
- (m) *A member of All India Council for Technical Education;*
- (n) *Secretary of the Institute -ex-officio; and*
- (o) *The Head of the Directorate of Academics by whatever name called shall be the member Secretary to the Academic Board.*

(2) *The President shall be the special invitee in the meetings of the Academic Board.*

(3) *The members of the Academic Board shall hold office for such term as may be determined by the Council at the time of their appointment and any vacancy in the Academic Board shall be filled by the Council in the same manner as the member whose vacancy occurred was filled.*

(4) *The members of the Academic board shall be entitled to such sitting fees, travelling, conveyance and other allowances as may be determined by the Council:*

Provided that Council Member shall not entitled for any sitting fees.

(5) *The Academic Board will be entrusted with the task of planning and various academic activities related to students and make suitable recommendations to the Council for implementation including but not limited to:-*

- (i) *Scanning of the economic and regulatory environment;*
- (ii) *Designing the Syllabus and its contents and periodical review and revision thereof;*
- (iii) *Designing mode of education;*
- (iv) *Assessing and finalization of the training requirements;*
- (v) *Designing the mode of examination and evaluation system;*
- (vi) *Recommending necessary changes to the Council, as and when required; and*
- (vii) *Any other related academic matter:*

Provided that the terms of reference of the Academic Board may include any other area as may be decided by the Council.

(6) *The Academic Board will meet as and when required. However, at least one meeting shall be held on half yearly basis.*

(7) *Not less than one third of members of the Academic Board shall constitute quorum.*

(8) *A member who has any pecuniary interest, direct or indirect in any matter that is brought up for consideration of the Academic Board, shall as soon as possible disclose the nature of his interest in such matter and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Board. The member shall not take any part in any deliberation or decision of the Board on such matter.*

(9) *The Academic Board shall work as per the overall policy framework and vision of the Institute as decided by the Council from time to time.*

(10) *The Council shall have the power to review any decision taken by the Academic Board in the performance of functions assigned or delegated to it.*

(11) *The Council shall record the reasons in writing where it does not accept any recommendation of the Academic Board and further disclosed it in the Annual Report of the Institute.*

(12) *Subject to the provisions of the Act and Regulations, the Academic Board shall have power to delegate by resolutions passed, any of its duties and functions to the President or Vice-President or Council Member or Secretary or Chief Executive or any other Officer of the Institute not below the rank of the Director as may be deemed necessary and proper."*

(xviii) in regulation 159 in sub-regulation (1), the words, "**rupees twenty**" and "**rupees ten**" shall be substituted for the words, "**rupees two hundred**" and "**rupees one hundred**", respectively.

(xix) in regulation 160,-

(a) in sub-regulation (1) after the words, "**registered post**", the words, "*or speed post or courier services or permitted electronic mode or by hand delivery or by leaving it to such address*" shall be inserted.

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation (2) shall be substituted, namely:-

"(2) A notice or documents may be served on the Institute or an officer thereof by sending it to the Institute or the officer at the office of the Institute at National Capital Region by registered post or speed post or courier services or permitted electronic mode or by leaving it at its head office at National Capital Region or other offices of the Institute."

(xx) after regulation 165, the following new regulation **165A. Multidisciplinary Firm(s)**, shall be inserted, namely:-

“165A. Multidisciplinary Firm(s).-

A member in practice may form multi-disciplinary firm(s) with the member(s) of other professional bodies as prescribed under regulation 168A and in accordance with the guidelines of the Council for functioning and regulation of such multidisciplinary firm(s).”

(xxi) in regulation 160,-

(a) in sub-regulation (1), after the words, “Company Secretaries in practice”, the words, “*or Multidisciplinary Firm*” shall be inserted”.

(b) in sub-regulation (2), after the words, “Company Secretaries in practice”, the words, “*or Multidisciplinary Firm*” shall be inserted”.

(c) after sub-regulation (2), the following sub-regulation (2A) shall be inserted, namely:-

“(2A) An application in the appropriate form is required to be made to the Institute for obtaining prior approval of the trade or firm name proposed to be used by the company secretary in practice or by a firm of Company Secretaries in practice or Multidisciplinary Firm.”.

(xxii) for regulation 172, the following regulation 172 shall be substituted, namely:-

“172. Mode of payment of fees.-

All fees and other dues payable to the Institute shall *be paid or remitted in favour of “The Institute of Company Secretaries of India”, through such modes as may be determined by the Council.*”

(xxiii) for regulation 174, the following regulation 174 shall be substituted, namely:-

“174. Power to remove difficulties.-

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of *these regulations, the Council may by general or specific resolution, do anything which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty not inconsistent with the provisions of the Act and these regulations.*”

(xxiv) Schedule C, Schedule CC, Schedule CCA, Schedule CCB, Schedule D, Schedule E, Schedule G and Schedule H shall be deleted.

By Order of the Council,

ASHOK KUMAR DIXIT, Officiating Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./173/19]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* Notification ICSI No.710/2 (1), dated the 16th September, 1982 and subsequently amended *vide*:

- (i) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated the 30th March, 1984;
- (ii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 3rd May, 1984;
- (iii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 30th December, 1985;
- (iv) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 9th September, 1986;
- (v) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 23rd February, 1987;
- (vi) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 9th March, 1987;
- (vii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 22nd August, 1988;
- (viii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 23rd August, 1988;
- (ix) Notification No. ICSI/710/2/M (18), dated the 20th August, 1993 and 24th November, 1993;

- (x) Notification No. 710/1/M/(17), dated the 21st February, 1995;
- (xi) Notification No. ICSI/710/2/M (20), dated the 28th November, 1996;
- (xii) Notification No. ICSI/710/2/M (26), dated the 10th August, 2001;
- (xiii) Notification No.710/1/(M)/1, dated the 3rd May, 2006;
- (xiv) Notification No.710/1/(M)/1, dated the 26th June, 2006;
- (xv) Notification No. 710/1(M)/1, dated the 23rd July, 2010;
- (xvi) Notification No. 710/1(M)/2, dated the 4th June, 2012;
- (xvii) Notification No. 710/1(M)/1, dated the 1st April, 2014.